ISSN 2455-2623

स्वातंत्र्य वीर सावरकर विशेषांक

समुत्कर्ष

वर्ष-०७, अंक-०९ | जनवरी - २०१६ | सहयोग : ₹ ५०
हिन्दी मासिक पत्रिका
०९

NATIONAL CAREER ACADEMY

An Institute for JET, NEET, BHU, ICAR

Website : www.ncacademyudaipur.com
e-mail : ncacademy2000@gmail.com

Courses Offered

JET **ICAR** **BHU**

JET/ICAR With 11 & 12
(School+Coaching+Hostel)
Hindi & English Medium

सम्पूर्ण राजस्थान में 3rd रैंक Bablu Jat (Bhilwara)

Top Rankers in JET 2018

सम्पूर्ण राजस्थान में 1st in TSP रैंक Pallavi Parmar (Dungarpur)

4th Rank
Manish Meena
Karauli

57th Rank
Kailash Gadri
Udaipur

13th Rank
Aaradhya Lalwani
Bundi

4th Rank
Dhanpal Meghwal
Jhalawar

4th Rank
Isha Mehra
Kota

95th Rank
Arvind Singh
Chittorgarh

6th Rank
Kanishka Verma
Udaipur

9th Rank
Shushila Meena
Mavli

8th Rank
Bhur Singh
Karauli

100 फीट रोड़, स्वागत वाटिका के पास
हिरण मगरी से. 3, उदयपुर (राज.)
Mo. 7737284834, 9214534834, 9549257292

पत्रिका संबंधी सम्पर्क सूत्र :
+91 94 13 021167

संघो ददाति सामर्थ्य, सामर्थ्यात् सर्वयोग्यता।
योग्यत्वाद् यः समुत्कर्षो, निरपायः स सर्वथा॥

संगठन से सामर्थ्य आता है, सामर्थ्य से सब प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है।
योग्यता के द्वारा जो ''समुत्कर्ष'' प्राप्त होता है, वह सर्वथा विघ्न रहित होता है।

समुत्कर्ष

ISSN 2455-2623
वर्ष 7 अंक 01, चंदा राशि ₹ 50 प्रति

संपादक : वैद्य रामेश्वर प्रसाद शर्मा

सह सम्पादक : गोविन्द शर्मा

संपादन मण्डल :
ज्योति राजानी, वैद्य महेश चन्द्र शर्मा
तरुण शर्मा, सुदर्शना शर्मा, संदीप आमेटा
तरुण कुमार दाधीच, निर्मला मेनारिया
अनिल कुमार दशोरा, प्रतिमा सामर

प्रबंध संपादक : कविता शर्मा

विपणन प्रबंधक : रविकान्त त्रिपाठी
राजेश शर्मा

वितरण प्रबंधक : राजेश सैनी
9413021167

आवरण पृष्ठ : भगवती प्रजापत

पृष्ठ संयोजन : कान्तिलाल लौहार

वेब डिजाईनर : अंकुर खमेसरा, रिसर्गम डिजीटल लेब, मुम्बई
: जगदीप सिंह, वेब डवलपर डिजीटल, उदयपुर

स्वामित्व : समुत्कर्ष समिति, उदयपुर

समुत्कर्ष समिति, उदयपुर के वास्ते प्रकाशक संजय कोठारी की ओर से मुद्रक पायोराईट प्रिन्ट मीडिया प्रा. लि. F-20, M.I.A., उदयपुर (राज.) से मुद्रित तथा 'समुत्कर्ष' बी-7, हिरणमगरी, सेक्टर-14, उदयपुर से प्रकाशित।

कार्यालय : ''समुत्कर्ष'' बी-7, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर (राज.) 313001

E-mail : editor@samutkarsh.co.in
Visit us at : www.samutkarsh.co.in

पाठक सहयोग राशि का चेक/डी.डी. 'समुत्कर्ष' के नाम से उदयपुर में देय बनावें।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए लेखक उत्तरदायी है, सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

सर्व विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित, समुत्कर्ष अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

स्वातन्त्र्य वीर सावरकर विशेषांक
(जनवरी-2019 अंक)

इस अंक में...

सम्पादकीय	04
स्वातन्त्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर	05
पूत के पग पालने में...	06
होनहार बिरवान के...	07
जीवन बन तू दीप समान...	08
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य प्रतिभा का दर्शन	09
संगठन कौशल	10
विदेशी वस्त्रों की होली जलाई...	11
स्वतंत्रता की अलख जगाने, चले सागर पार...	12
1857 का स्वातंत्र्य समर	13
1857 क्रांति की अर्द्धशती मनाई	14
अमर बलिदानी मदन लाल धींगरा को प्रेरणा	15
लंदन मे पंछी पिंजरे में	17
सागर संतरण	18
सावरकर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में	18
भारत में न्याय का नाटक	19
मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित	19
आयु का क्षण क्षण समर्पित	20
कालापानी / सेल्युलर जेल अंडमान का इतिहास	21
निर्माण और वास्तुकला	22
काला पानी की सजा और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुए अत्याचार	23
भूख हडताल के बदले मिली मौत	24
आजादी के बाद नष्ट कर दी गई जेल	25
अन्डमान को प्रस्थान	26
सेल्युलर जेल में अमानवीय यन्त्रणाएं	27
दोनों भाइयों का मिलन	29
जेल में साहित्य सृजन	31
पुनः मातृभूमि की गोद में	34
भविष्य की राह का नव-आलोक	35
साधना के देश में मत नाम ले विश्राम का	36
हिंदी भाषा शुद्धि का कार्य	37
और चिंगारी पूरे देश मे फैल गई	38
अखण्डता के प्रखर साधक	39
गोवा-मुक्ति और वीर सावरकर	41
स्वयं को तिल तिल गलाया	42
क्रांतिकारी की इच्छा मृत्यु	43
साधक अनन्त के पथ पर	43
स्वातंत्र्य वीर सावरकर जीवन क्रम	44
संदर्भ साहित्य	45

भारतीय स्वातन्त्र्य समर के दुर्धर्ष योद्धा एवं अखण्ड भारत के उपासक थे वीर सावरकर

मुझे आश्चर्यजनक रुप से 1857 के विद्रोह की चमक में स्वतन्त्रता के युद्ध की दीप्ति का आभास हुआ। हुतात्माएँ शहादत के आभा मण्डल से दैदीप्यमान होती दिखाई दीं और राख के ढ़ेर से प्रेरणा की चिंगारियाँ निकलती नजर आई। '1857 का स्वातन्त्र्य समर' के लेखक विनायक दामोदर सावरकर ने ये विचार अपनी पुस्तक के पहले संस्करण में लिखे। सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कथानक की महत्वपूर्ण और अभिन्न कड़ी हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भ्रमित वैचारिक अधिष्ठान वाले समूह ने स्वतंत्रता संग्राम में उत्सर्ग अनेक क्रान्तिधर्मा स्त्री-पुरुषों के योगदान को इतिहास से योजनापूर्वक बाहर कर दिया। उनके द्वारा रचित (विकृत) इतिहास विशेष रूप से सावरकर के प्रति अन्यायपूर्ण और दयाहीन है। स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर को पढ़े बिना भारत के महान स्वातन्त्र्य समर और क्रांतिकारियों के इतिहास को समझ पाना असंभव है।

सावरकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से निष्कासित किया गया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, दुनिया के समक्ष उद्घोषित किया कि भारत औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने की सीमा तक संघर्षरत रहेगा। उनको 23 दिसम्बर 1910 को आजीवन निर्वासन की सजा मिली। 4 जुलाई 1911 से 2 मई 1921 तक अण्डमान की कुख्यात सेल्युलर जेल (कालापानी) की सजा भुगतनी पडी। जहाँ उन्हें प्रथम छः महिने तक अंधेरी (काल) कोठरी में बंद रखा गया, तीन बार एक-एक माह का एकांतवास, दो बार सात-सात दिन के लिए हथकडियों में जकडकर दीवार के साथ लटकाकर रखा गया, चार माह तक जंजीरों से जकड़कर रखा गया। यही नहीं, सेल्युलर जेल से मुक्त होने पर उन्हें रत्नागिरी और फिर यरवदा जेल में रखा गया। स्वतन्त्र भारत में भी सावरकर को दो बार (पहली बार 5 फरवरी 1948 को तो दूसरी बार 4 अप्रैल 1950 को) जेल में रहना पडा।

स्वतंत्र भारत कि यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि इतने कठोर कारावास और यंत्रणाओं को भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते झेलने वाला यह स्वातंत्र्य वीर भारतीय इतिहास की मुख्यधारा से विलुप्त प्राय रखा गया।

सावरकर ने भारत की स्वतन्त्रता के उद्देश्य के प्रति विश्वपटल का ध्यानाकर्षण किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह आवाज उठाई कि जनसंख्या के एक वर्ग विशेष के प्रति तुष्टिकरण की नीति देश को बंटवारे की ओर ले जा सकती है। उनके लिए 'मातृभूमि' की एकता और अखण्ड़ता सर्वोपरि थी। उन्होंने ब्रिटिशों पर, कुछ अल्पसंख्यक वर्गो के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग या अविश्वास किया तो उसका एकमात्र कारण इनकी अलगाववादी प्रवृत्तियाँ थी। सावरकर की कल्पना का भारत, सिंधु नदी से हिन्द महासागर पर्यन्त फैला भारत था, इससे कम उन्हें स्वीकार्य नहीं था।

सावरकर रचित साहित्य और उनके लेखों को पढ़ने से स्पष्ट है कि वे केवल 'हिन्दुओं' के लिए 'हिन्दुस्तान' की कल्पना नहीं करते थे। इसके विपरीत वे भारत में विश्वास रखने वाले सभी अल्पसंख्यकों के धर्म, संस्कृति और भाषा के संरक्षण की कामना भी करते थे।

समुत्कर्ष के इस संक्षिप्त से अंक में स्वातन्त्र्य वीर सावरकर के विराट जीवन चरित्र को सहेजना दुष्कर कार्य था, तथापि उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को संकलित कर आपकी स्मृतियों में विनायक दामोदर सावरकर और उनके योगदान को जीवन्त करने का यह एक लघु प्रयास मात्र है। ■■■

स्वातन्त्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर

28 मई (उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण 6) वीर सावरकर का जन्म दिवस है। सन् 1883 में जन्में इस क्रान्ति कुमार का जीवन विविधताओं से परिपूर्ण रहा है, जिसने राष्ट्र के मानस में गम्भीर और श्रेष्ठ देश प्रेम की भावनाओं का आविर्भाव किया। एक तरफ जहां उनके ध्येय और आदर्शों के विरोधी उनकी निन्दा करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे ही उनकी लगन, ध्येयनिष्ठा, क्रांतिप्रेम और उनके सर्व प्रभावी व्यक्तित्व को स्वीकार भी करते हैं। उनके नाम के पहले 'वीर' उपसर्ग का लग जाना इस बात का द्योतक है कि तत्कालीन इतिहास के पृष्ठों से उनका नाम, चाहे उनके विरोधी कितना ही प्रयत्न करें, मिटाया नहीं जा सकेगा। अपितु लगता तो यह है कि वे आज की उदासीनता देखकर नये सशक्त रूप में पुनः अवतरित होंगे और आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक हिंदू-हृदय-सम्राट के रूप में हमेशा याद करती रहेंगी, जिसने विदेशी दासता के आपत्काल में राष्ट्र का मार्ग-निर्देश किया था, अपने जीवन को तिल तिल जलाकर राष्ट्र की महानता में वृद्धि की थी।

पुनीत पावन वंश वल्लरी

महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण वंश में प्राचीनकाल से अब तक अनेक देशभक्त महापुरुषों का जन्म हुआ है। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, नाना फड़नवीस, प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी सेनापति नाना साहब पेशवा, प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बन्धु, गोविन्द महादेव रानाडे, गोपालकृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि महापुरुष इसी चित्तपावन वंश की संतान थे। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इसी वंश के एक व्यक्ति विनायक दीक्षित नासिक जिले के भगूर नामक गांव में रहते थे, जिनके महादेव तथा दामोदर नामक दो पुत्र थे। दामोदर पंत सावरकर की शिक्षा मैट्रिक तक हुई थी और इस शिक्षा की समाप्ति पर वह पास के ही गांव की पाठशाला में अध्यापक हो गये थे। तत्कालीन परंपरा के अनुसार उनका विवाह अट्ठारह वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। उस समय उनकी जीवन संगिनी राधाबाई केवल दस वर्ष की अबोध बालिका थी। दोनों ही पति-पत्नी अपने जीवन में अत्यन्त धार्मिक प्रकृति के गृहस्थ थे। भगवान राम तथा कृष्ण उनके आराध्य थे और सिंहवाहिनी दुर्गा उनकी कुल देवी थीं। पारिवारिक वातावरण पूर्णतया हिन्दुत्व के विचारों से ओत-प्रोत था।

पूत के पग, पालने में ही

इन्हीं सावरकर दंपत्ति के यहां वैशाख कृष्ण 6, संवत् 1940 (द. भारतीय गणना) तदनुसार 28 मई, सन् 1883 को एक बालक का जन्म हुआ और भारतीय इतिहास में यही बालक आगे चलकर वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से विख्यात हुआ।

विनायक के पिता दामोदर तथा माता राधा बाई दोनो ही हिंदुत्वाभिमानी व धार्मिक वृत्ति के थे। माता-पिता बालक विनायक को नित्स नियम से भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान आदि की पौराणिक कथाएँ सुनाते। उसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह द्वारा विधर्मियों से किये गए संघर्षो की ऐतिहासिक गाथाएं सुनाते तो बालक विनायक उत्सुकता से प्रश्न करता, ''माँ, इन वीरों ने संघर्ष क्यों किया?''

> **तब माँ राधाबाई बतातीं, ''बेटा, विदेशी हमलावर म्लेच्छों को सत्ता से हटाकर भारतीय स्वराज्य की स्थापना के लिए ही यह संघर्ष था।''**
>
> **विनायक सहज भाव से पूछ उठता, ''माँ, अब भी तो विदेशी अंग्रेजों का राज्य है। अब कौन उनके खिलाफ संघर्ष कर रहा है?'' फिर कुछ सोचकर वह बोल उठता, ''माँ, मै भी बड़ा होकर शिवाजी की तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ूँगा।''**

और माँ अपने नन्हे-मुन्ने का मुख चूम लेती।

राधाबाई विनायक को 10 वर्ष का छोड़कर अचानक स्वर्गवासी हो गई। माँ की पूजा का भार नन्हे-मुन्ने विनायक पर आ गया। वह सिंहवाहिनी दुर्गा की बड़ी तन्मयता से पूजा-आराधना करता। साथ ही उनकी मूर्ति के समक्ष गुनगनाता, ''हे माँ, मेरे देश भारत को विदेशी विधर्मी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करो। मेरे देश में 'स्वराज्य' की स्थापना होनी चाहिए।''

विनायक का घर का नाम 'तात्या' था। तात्या को गाँव के ही स्कूल में ही प्रारम्भिक शिक्षा दिलाई गई।

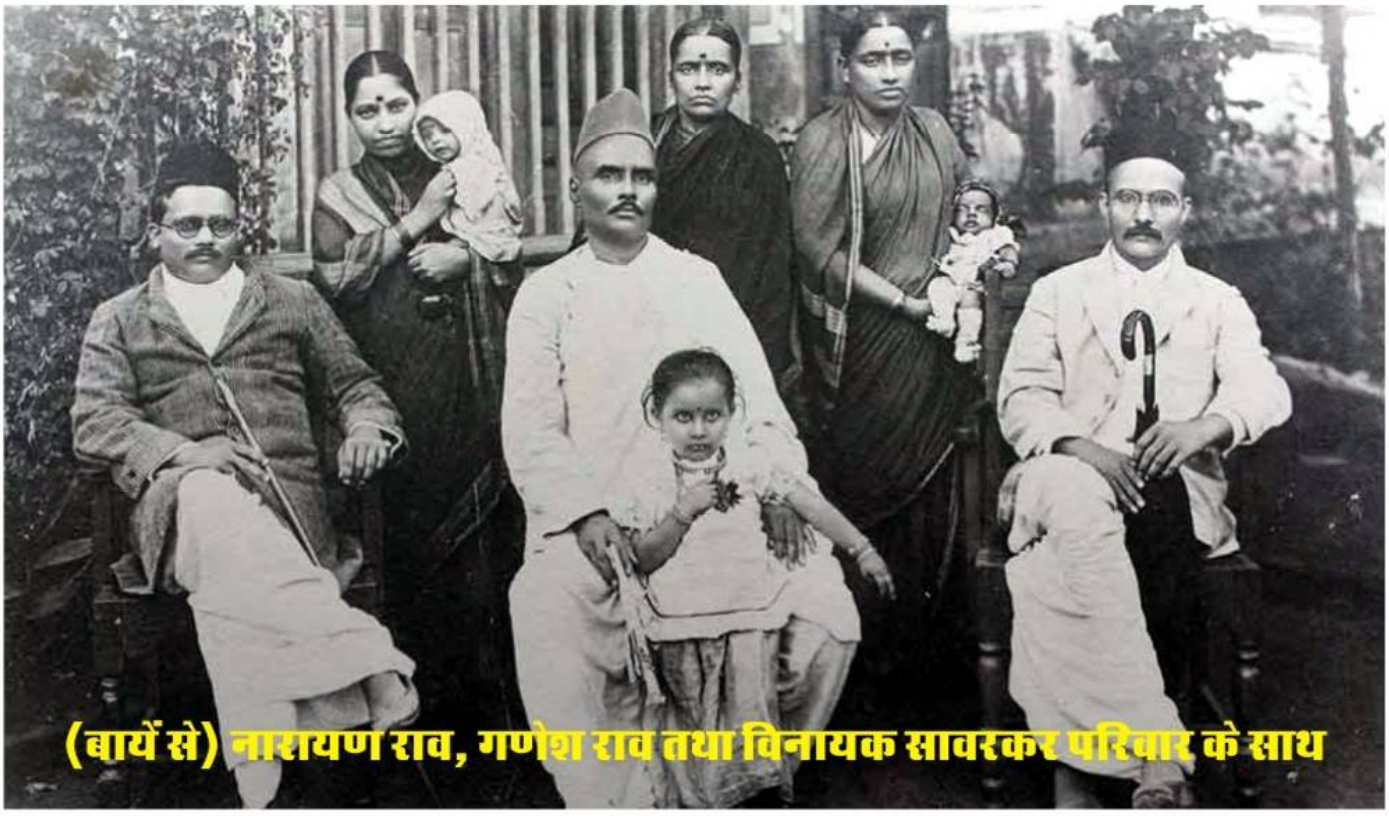

(बायें से) नारायण राव, गणेश राव तथा विनायक सावरकर परिवार के साथ

होनहार बिरवान के ...

1889 में प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालक तात्या को गांव की पाठशाला में प्रविष्ट कराया गया। उसने इस पाठशाला में पाचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। अपनी शिक्षा के इस प्रारंभिक चरण में भी बालक तात्या अपने समवयस्क बालकों के साथ युद्ध-संबंधी खेल ही खेलते रहते थे। बालकों के दो दल बनाये जाते, कृत्रिम दुर्ग-रचना होती। फिर एक दल, दूसरे दल पर आक्रमण करता।

इस पाठशाला में पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें आगे पढ़ने के लिए नासिक भेज दिया गया। अपने इस विद्यार्थी जीवन में भी तात्या का देश-प्रेम निरंतर पल्लवित होता रहा। यहां भी वह अपने मित्र विद्यार्थियों को राष्ट्र-प्रेम का पाठ पढ़ाते रहते। इसी समय से उन्होंने मराठी में कविताएं लिखनी भी प्रारंभ कर दी। उनकी ये देश-भक्ति परक कविताएं मराठी के तत्कालीन मुख्य पत्रों में प्रकाशित हुई। यही नहीं, वह राष्ट्र-प्रेम से ओत-प्रोत साहित्य का भी अध्ययन करने लगे। राष्ट्रीय भावना युक्त समाचार पत्रों को पढ़ना अब उनके जीवन का मुख्य कार्य बन गया था।

श्री लोकमान्य तिलक द्वारा संचालित 'केसरी' पत्र की उन दिनों भारी धूम थी। केसरी में प्रकाशित लेखों को पढ़कर विनायक सावरकर के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावनाएँ हिलोरें लेने लगीं। लेखों, संपादकीय व कविताओं को पढ़कर उन्होंने जाना कि भारत को दासता के चंगुल में रखकर अंग्रेज किस प्रकार भारत का शोषण कर रहे हैं। किस प्रकार हम अपने ही देश में गुलामी का जीवन बिता रहे हैं।

उन्होंने अपने जोशीले व राष्ट्रभक्त साथियों के साथ

तॉंत्या राव ने अपने साथियों को इकट्ठा कर दुर्गा देवी की मूर्ति के समक्ष प्रतिज्ञा की "मैं देश की स्वाधीनता के लिए जीवन के अंतिम क्षणों तक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से जूझता रहूँगा।"

मिलकर 'मित्र मेला' संस्था के तत्त्वावधान में 'गणेशोत्सव', 'शिवाजी महोत्सव' आदि कार्यक्रम आयोजित करके युवकों में स्वाधीनता के प्रति चेतना पैदा करने का कार्य शुरू किया।

22 जनवरी, 1901 को अंग्रेज महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ तो जगह-जगह शोकसभाएँ आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलियाँ देने की होड़ लग गई। 'मित्र मेला' की बैठक में विनायक सावरकर ने निर्भीकता के साथ घोषणा की, "इंग्लैंड की रानी, हमारे दुश्मन देश की रानी है अतः हम शोक क्यों मनाएँ?"

जीवन बन तू दीप समान...

उस समय की परम्परा के अनुसार 1901 में दामोदर सावरकर ने ठाणे के जवाहर कस्बे के दीवान भाऊ रामचन्द्र त्रयंबक की पुत्री यमुनाबाई से विनायक का विवाह करा दिया। यमुनाबाई भी धर्मनिष्ठ परिवार से संस्कारों से पली बढ़ी थी।सावरकर परिवार में सभी स्नेह से उन्हें 'माई' कहकर पुकारते थे।

आगे चलकर विनायक सावरकर की लंदन पढ़ाई का खर्च भी यमुनाबाई के पिता ने ही वहन किया था।

कालान्तर में खण्ड्-खण्ड् चल रहे सावरकर के दाम्पत्य जीवन में यमुनाबाई से दो पुत्र प्रभाकर और विश्वास तथा दो पुत्रियां प्रभात और शालिनी प्राप्त हुई थी। जिनमें पुत्र प्रभाकर और पुत्री प्रभात अल्पवय में ही काल कलवित हो गए थे।

सन् 1902 में फर्ग्यूसन कॉलेज में जब विनायक सावरकर ने प्रवेश लिया, उस समय गणित के विद्वान सर जदुनाथ परांजपे इस कॉलेज के प्राचार्य थे। इस कॉलेज में प्रवेश लेने पर सावरकर को सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि यहां से उन्हें अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। उनके लेखों एवं व्याख्यानों से अल्प समय में ही वह कॉलेज के ही नहीं, अपितु नगर के भी एक सुपरिचित व्यक्ति बन गए। यहीं वे लोकमान्य तिलक के सम्पर्क में भी आये, जिनकी प्रेरणा से उनका देश-प्रेम और भी अधिक परिपुष्ट हुआ। यहां अध्ययन करते समय वे कॉलेज छात्रावास में रहते थे। छात्रावास में भोजन की व्यवस्था छात्र ही करते थे। सावरकर के आ जाने पर छात्रों को इस कार्य के लिए एक अच्छा व्यवस्थापक प्राप्त हो गया। सावरकर जिस कमरे में रहते थे, वहां प्रायः राजनीतिक आंदोलन पर परिचर्चाएं होती रहती थीं। प्रत्येक समय कोई-न-कोई विद्यार्थी वहां विद्यमान रहता था। अतः सावरकर का कमरा ''सावरकर कैम्प'' कहा जाने लगा।

पूना के ही डेक्कन कॉलेज के खापर्डे आदि कुछ विद्यार्थियों से भी सावरकर की अच्छी मित्रता थी। अतः आंदोलन के सम्बन्ध में होने वाली सभाएं या तो डेक्कन कॉलेज में होती थीं अथवा फर्ग्यूसन कॉलेज के सामने स्थित पहाड़ी पर होती थीं।

फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लेते ही विनायक सावरकर ने एक पत्र निकालना भी आरंभ कर दिया। यह पत्र हाथ से लिखा होता था। अध्ययन के साथ ही साथ वह सांस्कृतिक, साहित्यिक, संभाषण आदि कार्यक्रमों में भी सक्रिय भाग लेते थे। इतिहास उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था। भारत ही नहीं, अपितु विश्वभर के इतिहास का उन्हें अगाध ज्ञान था। इसी कॉलेज में एक बार इटली के इतिहास पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में सावरकर ने भी भाग लिया। उनके व्याख्यान को सुनकर कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य आश्चर्यचकित रह गए। प्राचार्य महोदय स्वयं इतिहास पढ़ाते थे, किन्तु सावरकर के व्याख्यान को सुनकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि वह स्वयं (प्राचार्य) इतिहास पढ़ाते थे और रात-दिन यही उनका कार्य था, किन्तु सावरकर को उनसे अधिक ज्ञान था।

उन्होंने कविताएँ तथा लेख लिखने शुरू कर दिए थे। उनके लेखन का उद्देश्य युवकों में स्वाधीनता की भावना पैदा करना था। उनकी रचनाएँ मराठी पत्रों में धड़ल्ले से प्रकाशित होने लगीं।

'काल' के संपादक श्री परांजपे ने अपने पत्र में सावरकर की कुछ रचनाएँ प्रकाशित की, जिन्होंने समाज में तहलका मचा दिया। श्री परांजपे ने ही सावरकर का श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से परिचय कराया। युवक सावरकर के लेखन तथा तेजस्वी व्यक्तित्व से तिलकजी अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उन्हें आशीर्वाद दिया।

राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य प्रतिभा का दर्शन

अपने आरंभिक छात्र-जीवन से ही विनायक सावरकर राष्ट्र-प्रेम से ओत-प्रोत कविताएं लिखने लगे थे। उनकी ये कविताएं (पोवाड़) स्वतन्त्रता प्रेमी ऐतिहासिक वीरों-महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह आदि से सम्बद्ध हुआ करती थीं। अपनी इन वीर रस की कविताओं से वे अपने मित्रों में देश-प्रेम की भावना का समावेश करते थे।

इन पोवाड़ों के प्रसंग में एक स्थान पर शिवाजी के चचेरे भाई बाजी घोरपड़े (जो बीजापुर के सुल्तान का समर्थक था) के विषय में कहा गया है- ''हाय! वीर बाजी प्रभु, बीजापुर के यवन सुल्तान की सेवा में हैं। अपनी मातृभूमि की अधीनता के लिए यह विदेशी विधर्मी की सहायता कर रहा है।''

आगे शिवाजी का दूत बाजी के पास जाता है और उन्हें संदेश देता है-

> **''हे बाजी! तुम म्लेच्छ कसाई की सेवा तथा जन्मभूमि की दासता के लिए उस विधर्मी का क्यों सहयोग करते हो! स्वदेश एवं स्वराज्य से प्रेम न करने वाले व्यक्ति को धिक्कार है। यह धर्म का दोष नहीं कि म्लेच्छ की शक्ति प्रबल है। आज देशद्रोही चांडालों का बाजार लगा है। वीर बाजी इस दासता में क्यों व्यर्थ अपना जीवन गंवा रहे हो। गो-ब्राह्मण रक्षक, स्वतंत्रता को स्थिर करने वाले शंकर के अवतार शिवाजी तुम्हें बुला रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम में तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। वहां चलो, देश-भक्ति का अमृत पीकर प्रायश्चित करो। स्वतंत्रता प्रिय सेना के सेनापति बनो!''**

इस संदेश का बाजी पर अनुकूल प्रभाव होता है। उसे अपनी करनी पर ग्लानि होने लगती है। वह दूत से कहता है-'भयंकर सांप को मित्र समझकर मैंने उसे अपने घर में शरण दी है। इस विदेशी, विधर्मी, हिन्दू द्रोही चोर को मैंने राजा माना तथा महान पराक्रमी शिवाजी का विरोध किया। अपनी पावन मातृभूमि को अपवित्र करने वाले का ही मैं सेवक बना। शिवाजी के दूतों, शिवाजी महाराज से जाकर कहना कि मुझ जैसे नीच राष्ट्रद्रोही को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दें, मैं उस स्वन्त्रता प्रेमी हिन्दू वीर के हाथों से मुक्ति पाकर पुनः इस पावन भूमि में जन्म लेना चाहता हूं।''

सावरकर की प्रथम कविता सन् 1894 में प्रकाशित हुई थी।उसके बाद तो उनकी ये कविताएं मराठी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थीं। इन्हीं कविताओं को पढ़कर लोकमान्य तिलक तथा गोविन्द महादेव रानाडे उनसे परिचित हुए। इन दोनों महानुभावों ने इन कविताओं के लिए सावरकर को अपनी शुभकामनाएं दी थीं। बाद में सरकार ने इन कविताओं को सरकार के विरूद्ध भड़काने वाला बताकर जब्त कर लिया था। नासिक के एक पत्र 'नासिक वैभव' में सावरकर का 'हिन्दुस्तान गौरव' नामक लेख प्रकाशित होने पर उनके सभी अध्यापकों ने भी इनकी प्रशंसा की थी। ■■■

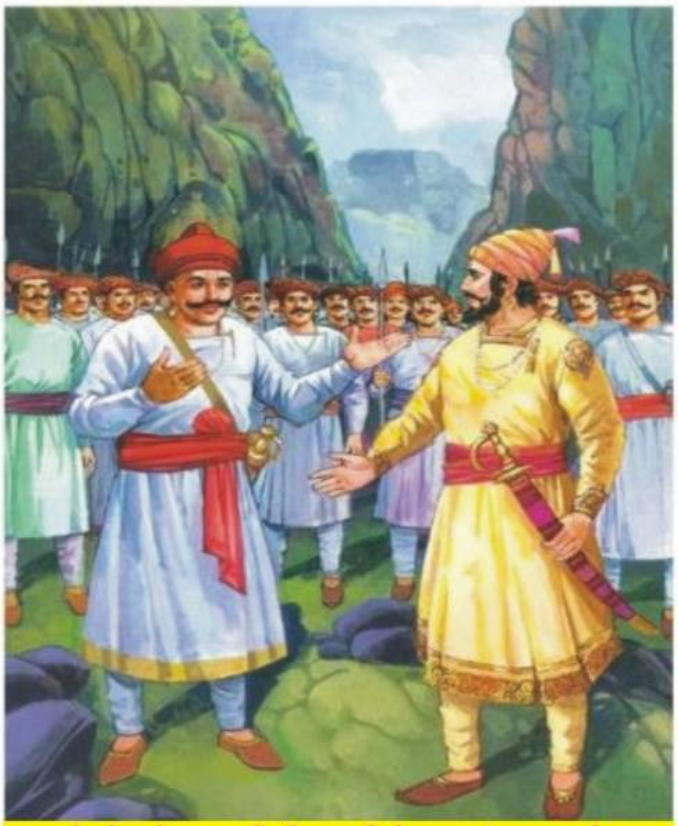

बाजी घोरपडे, छत्रपति शिवाजी से युद्ध मंत्रणा करते हुए।

संगठन कौशल

1894 में चाफेकर बंधुओं ने हिन्दू धर्म संरक्षिणी सभा की स्थापना की थी। रैण्ड हत्याकांड में चाफेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। इस घटना से समस्त देश में अंग्रेजों के विरूद्ध तीव्र रोष उत्पन्न हो गया। इसी घटना ने विनायक सावरकर को अंग्रेजी शासन का प्रबल शत्रु बना दिया। उन्होंने अपनी कुलदेवी के समक्ष मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए जीवनपर्यंत संघर्ष करते रहने की प्रतिज्ञा की। अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने छात्रों का 'मित्र मेला' नामक एक संगठन बनाया। मित्र मेला के माध्यम से उन्होंने 'शिवाजी महोत्सव', 'गणेश महोत्सव' आदि का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया, जिनमें युवकों को सशस्त्र क्रान्ति की शिक्षा दी जाती थी। शीघ्र ही सावरकर के व्याख्यानों से प्रभावित होकर अनेक नवयुवक इसके सदस्य बन गये।

> 22 जनवरी, 1901 में इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया का देहावसान हो जाने पर समस्त भारतवर्ष में शोक-सभाएं होने लगीं। यह मानसिक दासतापूर्ण चाटुकारिता सावरकर को सहन नहीं हुई। 'मित्र मेला' की बैठक में इन शोक-सभाओं का विरोध करते हुए उन्होंने कहा-"इंग्लैण्ड की महारानी हमारे शत्रु देश की रानी है, अतः हम शोक क्यों मनाएँ? हमें दासता के बन्धनों में जकड़ने वाली रानी की मृत्यु पर शोक मनाना हमारी दासतापूर्ण मनोवृत्ति का ही परिचायक होगा।"

'मित्र मेला' के सभी कार्यक्रम चाफेकर बंधुओं की हिन्दू धर्म संरक्षिणी सभा के कार्यक्रमों के समान ही शिवाजी श्लोक और गणपति श्लोक के गायन से प्रारंभ होते थे। इन श्लोकों में मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए शिवाजी के समान प्राणार्पण करने की शिक्षा दी जाती थी। जैसे- "मित्रों हम संकल्प करते हैं कि राष्ट्रीय रणभूमि में अपना जीवन बलिदान कर देंगे। जो लोग हमारे धर्म और हमारी मातृभूमि को नष्ट कर रहे हैं, इन पर आघात कर रहे हैं, उनके रक्त से पृथ्वी को रंग देंगे। हम शत्रुओं को मृत्युलोक पहुंचाकर ही मृत्यु को प्राप्त होंगे।" ■■■

सावरकर निर्मित 'मित्र मेला' की राष्ट्रार्पित युवा टोली

विदेशी वस्त्रों की होली जलाना ...

1905 में जिस समय सावरकर बी.ए. अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसी समय उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का निर्णय लिया। इस निर्णय पर नरम विचारों वाले कांग्रेसी नेताओं का स्पष्ट मत था कि इनका परिणाम शुभ नहीं होगा। इससे सरकार, शान्तिप्रिय जनता तथा एंग्लो-इण्डियनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही गरम विचारों वाले कांग्रेसी चाहते थे कि स्वदेशी चीजों का प्रचार कार्य युवकों को अवश्य करना चाहिए, किन्तु विदेशी कपड़ों की होली न जलाकर, उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए। सावरकर का स्पष्ट मत था कि सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न करने हेतु विदेशी वस्त्रों की होली जलाना आवश्यक था। अत: 22 अगस्त, 1906 को उन्होंने पूना में पहली बार सार्वजनि क रूप में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं लोकमान्य तिलक ने की।

पूणे के बीच बाजार में विदेशी वस्त्रों का ढ़ेर लगाया गया। क्रांतिपुंज तिलकजी की उपस्थिति में सावरकर ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की आवश्यकता पर ओजस्वी भाषण दिया। इसके पश्चात विदेशी वस्त्रों के उस पहाड़ को अग्नि को समर्पित कर दिया गया।

सावरकर के इस साहसिक कार्य का समाचार समस्त विश्व में फैल गया। यह घटना समाचार पत्रों में भी चर्चा का विषय रहा। इसी घटना के परिणामस्वरूप उन्हें कॉलेज से भी निष्कासित होना पडा था।

पुणे के कॉलेज से निष्कासित होने के बाद बम्बई विश्वविद्यालय ने किसी प्रकार सावरकर को बी. ए. की परीक्षा देने की अनुमति दे दी। ■■■

स्वतन्त्रता की अलख जगाने, चले सागर पार ...

सावरकर की योजना थी कि किसी प्रकार विदेश जाकर बम आदि बनाने सीखे जाएं तथा शस्त्रास्त्र प्राप्त किए जाएं। इसी बीच महान् राष्ट्रभक्त श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो लंदन में रहकर भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे, ने प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों को इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि सावरकर जैसा तेजस्वी युवक किसी प्रकार इंग्लैण्ड पहुँच जाए तो बहुत काम हो सकता है। उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को लिखा कि वह 'शिवाजी छात्रवृत्ति' विनायक दामोदर सावरकर को दें, जिससे वह कानून के अध्ययन के साथ-साथ देश की स्वाधीनता में भी योगदान कर सके। तिलकजी का पत्र मिलते ही श्री श्यामजी कृष्ण शर्मा ने सावरकर को छात्रवृत्ति देने की घोषणा कर दी।पत्नी यमुना बाई के पिता के सहयोग से 9 जून, 1906 को सावरकर इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो गए।

सावरकर लंदन में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संचालित 'इंडिया हाउस' में ठहरे। उन्होंने वहाँ पहुँचते ही अपनी विचारधारा के भारतीय युवकों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने विधि के अध्ययन के लिए 'ग्रेज-इन' में प्रवेश भी ले लिया।

सावरकर ने लंदन में 'फ्री इंडिया सोसाइटी' की स्थापना की। वे इस संस्था के तत्त्वावधान में भारतीय महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते। उन्होंने शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि वीरों की जयंतियों पर आयोजन करने शुरू कर दिए। इन समारोहों में भारत की स्वाधीनता की भी चर्चा की जाती। सावरकर ओजस्वी वक्ता थे। वे अमरीका, फ्रांस तथा इटली की राजनीतिक परिस्थिति पर भाषण देते। इन देशों में हुई क्रांतियों के इतिहास पर प्रकाश डालते। भारतीय युवक उनके तेजस्वी व्यक्तित्व व ओजस्वी वाणी के कारण उनसे प्रभावित होने लगे।

'इंडिया हाउस' में उन दिनों भाई परमानंद, सेनापति बापट, लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदारसिंह राणा, ज्ञानचंद वर्मा, मैडम कामा जैसी विभूतियाँ भी रह रही थीं। ये सभी सावरकर के व्यक्तित्व से प्रभावित थे।

अक्टूबर, 1906 में महात्मा गांधी इंग्लैण्ड गए तो वे भी 'इंडिया हाउस' में ठहरे। वहाँ उनकी सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा से भारतीय स्वाधीनता के बारे में चर्चाएं भी हुईं।

सावरकर 'इंडिया हाउस' में रहते हुए लेख व कविताएं लिखते रहे। वे गुप्त रूप से बम बनाने की विधि का अध्ययन व प्रयोग भी करते रहे। उन्होंने इटली के महान् देशभक्त मेजिनी का जीवन-चरित्र लिखा। उसका मराठी अनुवाद भारत में छपा तो एक बार तो तहलका ही मच गया था।

सावरकर ने 'इंडिया हाउस' में ही गुरूमुखी सीखी तथा सिख ग्रंथों का अध्ययन कर 'सिखों का इतिहास' नामक पुस्तक लिखी। इसी बीच उन्होंने 1857 के स्वातंत्र्य-समर से संबंधित दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर '1857 का प्रथम स्वातंत्र्य-समर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की।

लंदन स्थित 'इंडिया हाउस'

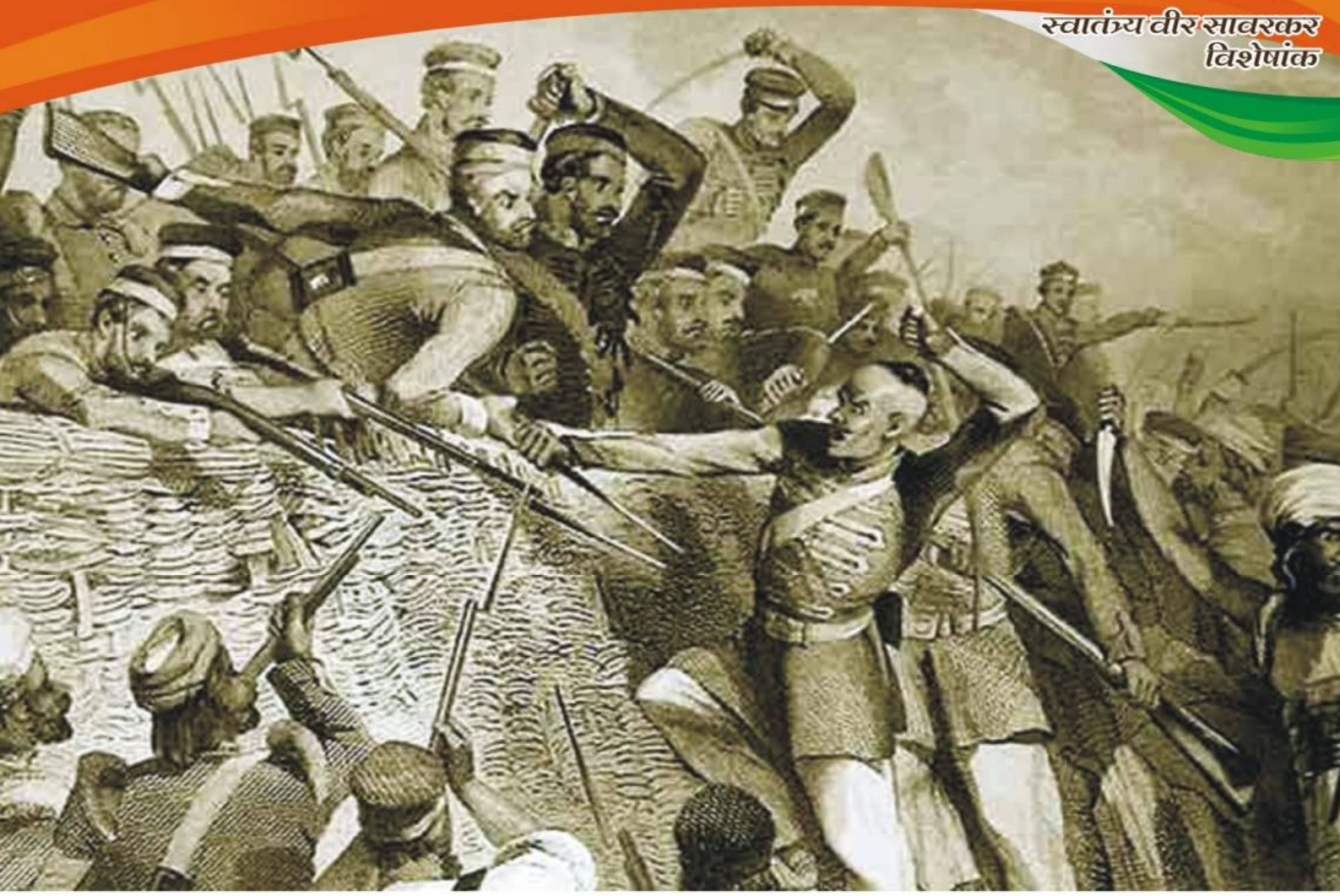

'1857' का स्वातंत्र्य-समर

सावरकर ने 1907 में '1857 का प्रथम स्वातंत्र्य-समर' ग्रंथ लिखना शुरू किया।कर्जन वायली द्वारा स्थापित इंडिया ऑफिस के पुस्कालय में बैठकर वे विभिन्न दस्तावेजों व ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्होंने गहन अध्ययन के बाद इसे लिखना शुरू किया। उन्होंने इसे मराठी में लिखा तथा साथ ही अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया।

ग्रंथ की पांडुलिपि किसी प्रकार गुप्त रूप से भारत पहुँचा दी गई। महाराष्ट्र में इसे प्रकाशित करने की योजना बनाई गई, किंतु कोई भी प्रेस छापने को तैयार नहीं हुआ। 'स्वराज्य' पत्र के संपादक ने इसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया। किंतु पुलिस ने प्रेस पर छापा मारकर योजना में बाधा डाल दी।

ग्रंथ की पांडुलिपि गुप्त रूप से पेरिस भेज दी गई। वहाँ इसे प्रकाशित कराने का प्रयास किया गया, किंतु ब्रिटिश गुप्तचर वहाँ भी पहुँच गए और ग्रंथ को प्रकाशित होने नहीं दिया गया।

ब्रिटिश सरकार इस ग्रंथ के प्रकाशन की संभावना से बहुत परेशान थी। उसे भय था कि तथ्यों पर आधारित इस ग्रंथ के प्रकाशित होते ही भारत की स्वाधीनता का पक्ष संसार के समक्ष प्रकट हो जायेगा। अत: उसने ग्रंथ के प्रकाशित होने से पूर्व ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया।

अंतत: 1909 में ग्रंथ फ्रांस से प्रकशित हो ही गया। जिसका बाद में सन् 1928 में क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने 'हिदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन' की ओर से इस ग्रंथ का गुप्त रूप से प्रकाशन कराया।

28 फरवरी, 1909 को नासिक में सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर की तलाशी में 'बम मैनुअल' की प्रति भी बरामद की गई। उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया। ■■■

1857 की क्रान्ति की अर्द्धशती मनाई...

1907 में सावरकर ने अंग्रेजों के गढ़ लंदन में 1857 की अर्द्धशती मनाने का व्यापक कार्यक्रम बनाया। क्योंकि अंग्रेज इस प्रथम स्वातंत्र्य-समर को 'गदर' व लूट बताकर बदनाम करते आ रहे थे।

10 मई, 1907 को 'इंडिया हाउस' में 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। भवन को तोरण द्वारों से सजाया गया। मंच पर मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, वीर कुँवरसिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा आदि भारतीय शहीदों के चित्र थे।

भारतीय युवक छाती व बाँहों पर शहीदों के चित्रों के बिल्ले लगाए हुए थे। उन पर अंकित था '1857 के वीर अमर रहें।'

इस समारोह में कई सौ भारतीयों ने भाग लेकर 1857 के स्वाधीनता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय गान के बाद वीर सावरकर का ओजस्वी भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया कि 1857 में 'गदर' नहीं अपितु भारत की स्वाधीनता का प्रथम महान् संग्राम हुआ था।

भारतीय देशभक्त युवक जब इन बिल्लों को लगाकर ऑक्सफोर्ड तथा कैंब्रिज विश्वविद्यालयों में अपनी कक्षाओं में गए तो उनकी अंग्रेज शिक्षकों व छात्रों से झड़पें भी हुईं। 1857 की स्वर्ण जयंती मनाए जाने की घटना ने पूरे इंग्लैण्ड को झकझोर कर रख दिया। ■■■

क्रांति का धधकता दावानल

सावरकर ने गुप्त रूप से बम बनाने की विधि का अध्ययन भी किया था। उन्होंने लंदन से अपने दो विश्वस्त साथियों-सेनापति बापट तथा हेमचंद्र दास को बम बनाना सीखने के लिए पेरिस भेजा। बाद में 'बम मैनुअल' की प्रतियाँ गुप्त रूप से भारत भेजी गईं। 'बम मैनुअल' की प्रति श्री लोकमान्य तिलक को भी दी गई तो वे भावविह्वल होकर सावरकर की प्रशंसा करने लगे।

भारत में 'अभिनव भारत' के सदस्यों ने बम बनाने शुरू कर दिए। 30 अप्रैल, 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर यही बम फेंककर तहलका मचा दिया। दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड बच गया, जबकि दो अंग्रेज महिलाएँ मारी गईं। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी बम विस्फोट कर ब्रिटिश शासन को हिला दिया गया।

अलीपुर बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार एक मुखबीर ने रहस्योद्घाटन कर दिया कि बम सेनापति बापट द्वारा लाए गए 'बम मैनुअल' को देखकर बनाया गया था। सेनापति बापट, सावरकर के अनन्य सहयोगी हैं, यह सरकार जानती ही थी। ■■■

खुदीराम बोस

इंग्लैण्ड में राम जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया

सावरकर भगवान राम को मानव मात्र का आदर्श मानते थे। इसीलिए उन्होंने इंग्लैण्ड में राम जन्मोत्सव के अवसर पर कहा था- ''यदि मैं इस देश का अधिनायक होता, तो सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण को जब्त करने का आदेश देता, क्योंकि जब तक यह ग्रंथ हिन्दुओं के हाथों में रहेगा, तब तक न तो हिन्दू किसी दूसरे ईश्वर या सम्राट के समक्ष सिर झुका सकते हैं, न उनकी जाति का नाश हो सकता है... रामायण लोकतन्त्र का आदि शास्त्र है। ऐसा शास्त्र, जो लोकतंत्र की कहानी ही नहीं, प्रहरी, प्रेरक और निर्माता भी है।

जब तक रामायण यहां है, तब तक इस देश में कोई अधिनायक नहीं पनप सकता। क्या कहीं कोई ऐसा सम्राट, अवतार या पैगम्बर दिखाई देता है, जो राम के सामने टिक सके।''

इन ओजस्वी व्याख्यानों से भारतीय युवक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यग्र होने लगते थे। ■■■

अमर बलिदानी मदन लाल धींगरा को प्रेरणा

मदनलाल धींगरा अध्ययन के लिए पंजाब से लन्दन गए थे।

सावरकर के सम्पर्क में आने पर वे मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने सावरकर के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। सावरकर ने परीक्षा लेने के लिए उनके हाथ में छुरी भोंक दी, किंतु धींगरा ने उफ् तक न की। उनके धैर्य और वीरता से प्रभावित होकर सावरकर ने उन्हें शिष्य बना लिया।

इंग्लैण्ड में भारतीय युवकों की क्रान्तिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कर्जन वायली की अध्यक्षता में 'इण्डिया ऑफिस' की स्थापना की गई। प्रकट में यह संस्था भारतीयों से सहानुभूति दिखाती थी, किंतु उसका उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारियों की जासूसी करना था। सावरकर का शिष्य बनने के बाद मदनलाल धींगरा कर्जन वायली के पास गये तथा इण्डिया ऑफिस के सदस्य बन गए। उन्होंने इण्डिया हाउस जाना छोड़ दिया। उनके साथी उन्हें देशद्रोही समझने लगे, किन्तु धींगरा के मन में तो कुछ और ही था। 1 जुलाई 1909 को लंदन के इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में उन्होंने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। धींगरा इस घटना के बाद निर्भीकता से वहीं डटे रहे, अत: उन्हें बंदी बना लिया गया।

इस घटना से चारों ओर खलबली मच गई। धींगरा के पिता ने घबराकर तार भेजकर उनसे सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा कर दी। भारत में इस हत्या के विरोध में सभाएं हुईं। लन्दन में भी भारतीयों ने एक सभा की। सावरकर भी इस सभा में विद्यमान थे। सभी धींगरा के इस कृत्य की निंदा कर रहे थे, अंत में सभा के अध्यक्ष जैसे ही निंदा प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास होने की

घोषणा करने को उठे, (श्री मन्मथनाथ गुप्त के अनुसार इस सभा के अध्यक्ष विपिन पाल थे, किन्तु सावरकर की जीवनी के लेखक श्री शिवकुमार गोयल ने आगा खां को इस सभा का अध्यक्ष बताया है।) सावरकर ने गरजते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि धींगरा का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन होने से इस प्रकार की कार्यवाही मुकदमें को प्रभावित कर सकती थी। जहां सब एक स्वर से बोल रहे थे, वहां सावरकर के इस अप्रत्याशित विरोध से अंग्रेज तिलमिला उठे। एक अंग्रेज ने 'जरा अंग्रेजी घूंसे का मजा ले लो, देखो कैसा ठीक बैठता है' कहते हुए सावरकर पर घूंसा दे मारा, जिससे सावरकर की ऐनक टूट गई और उनकी आंखों से रक्त बहने लगा। घूंसा मारकर वह अंग्रेज संभल पाता, इससे पहले ही एक भारतीय युवक एम.टी.टी. आचार्य ने 'जरा इसका भी तो मजा लो, यह हिंदुस्तानी डंडा है' कहते हुए अपनी छड़ी उस अंग्रेज के सिर पर दे मारी, जिससे वह भी घायल हो गया। सभा मे हडकंप मच गया फलत: सभा तितर बितर हो हो गई। सभा में निन्दा का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सावरकर गिरफ्तार कर लिए गए, किन्तु प्रमाण के अभाव में उन्हें शीघ्र ही छोड़ दिया गया। वेस्ट मिनिस्टर अदालत ने धींगरा को मृत्युदंड सुनाया और 16 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। इससे पूर्व 22 जुलाई को सावरकर ने ब्रिस्टन जेल में उनसे भेंट की और कहा, ''मै तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूं।''

धींगरा ने इंग्लैण्ड की अदालत में अपराध स्वीकार करते हुए कहा- ''जो अमानवीय फांसी तथा काले पानी की सजा हमारे सैकड़ों देशभक्तों को हो रही है, मैंने उसी का एक सामान्य-सा बदला उस अंग्रेज के रक्त से लेने की चेष्टा की है। मैंने इस विषय में अपने विवेक के अतिरिक्त किसी से परामर्श नहीं लिया है.... ईश्वर से मेरी केवल यही प्रार्थना है कि मैं फिर उसी माता के गर्भ से जन्म लूँ और फिर उसी पावन उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकूँ। मैं यह तब तक करना चाहूँगा, जब तक कि भारत स्वाधीन न हो जाए, ताकि मानवजाति का कल्याण हो तथा ईश्वर की महिमा का विस्तार हो सके। वन्दे मातरम्।''

धींगरा की फांसी के बाद सावरकर ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था-''हुतात्मा धींगरा का यह वक्तव्य ही क्रांतिकारियों के अभिप्राय को व्यक्त करने वाला बहुमूल्य प्रलेखीय प्रमाण है.... धींगरा एक महा स्वाभिमानी देशभक्त थे। उनके मत में राष्ट्रशत्रु का वध भगवान राम, कृष्ण, शिवाजी, प्रताप आदि स्वाभिमानियों की वीर परंपरा का एक अंग था। वह ईश्वरीय कृत्य था। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की ज्योति प्रज्जवलित करने वाला एक निनाद था, उनका वक्तव्य।'' ■■■

लंदन में पंछी पिंजरे में

ब्रिटिश सरकार तीनों सावरकर बंधुओं को 'राजद्रोही' व खतरनाक तो पहले ही घोषित कर चुकी थी। कर्जन वायली की हत्या का समर्थन किए जाने के बाद विनायक दामोदर सावरकर के पीछे भी पुलिस पड़ गई।

सावरकर इंग्लैण्ड से पेरिस चले गए। पेरिस में उन्हें अपने साथी याद आते। वे सोचते कि उनके संकट में रहते उनका यहाँ सुरक्षित रहना उचित नहीं है। अंतत: वे पुन: इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो गए।

15 मार्च, 1910 को लंदन के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही सावरकर को बंदी बना लिया गया।

उन पर निम्न पाँच अभियोग लगाए गए-

(1) भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचना।

(2) ब्रिटिश सम्राट को प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास करना।

(3) अवैध शस्त्रास्त्रों का संग्रह, वितरण करना तथा जैक्सन व कर्जन वायली की हत्या की प्रेरणा देना।

(4) लंदन में शस्त्रों का संग्रह तथा भारत को निर्यात करना।

(5) भारत में जनवरी 1906 से मार्च 1906 तक तथा लंदन में 1908 व 1909 में राजद्रोहात्मक भाषण देना।

सावरकर को ब्रिक्सटन जेल में बंद कर दिया गया। सावरकर के अंग्रेज साथी पत्रकार गोय आल्ड्रेड को भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर उसी जेल में बंद कर दिया गया।

सावरकर की गिरफ्तारी के समाचार से लंदन स्थित भारतीयों में रोष की लहर दौड़ गई। श्री वी.वी.एस. अय्यर तथा श्री वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय उनसे मिलने जेल पहुँचे। उनके मुकदमें का खर्च भारतीय युवकों ने उठाने की घोषणा की।

श्री सावरकर पर लंदन की अदालत में मुकदमा शुरु हुआ। न्यायाधीश ने 22 मई को निर्णय दिया कि क्योंकि सावरकर पर भारत में भी कई मुकदमे हैं अत: उन्हें भारत ले जाकर वहीं मुकदमा चलाया जाए।

अतंत: 29 जून को गृह विभाग के राज्य सचिव विंस्टन चर्चिल ने सावरकर को भारत भेजने का आदेश जारी कर दिया। ■■■

पाठक अपने समीचीन सुझाव विचार आलेख
एवं चित्र हमें अणु-डाक
editor@samutkarsh.co.in पर भेजें।

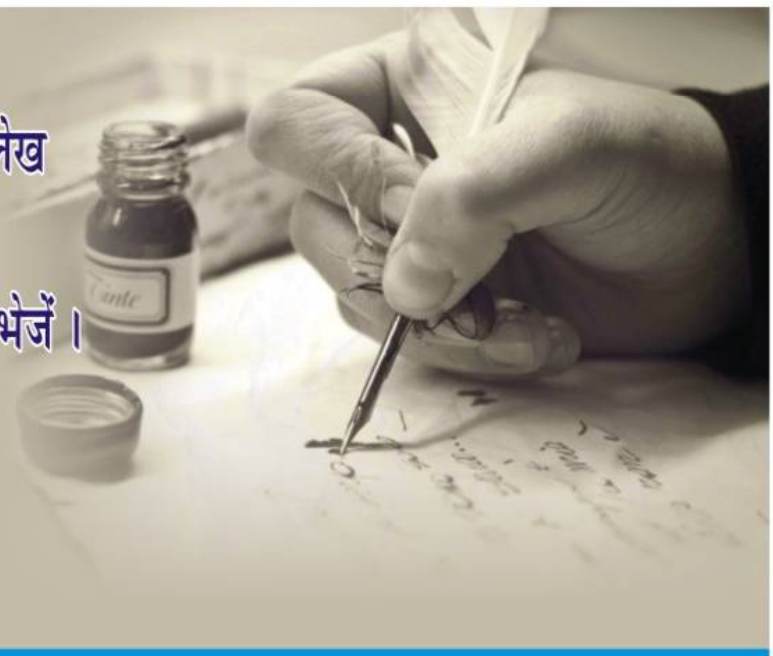

अथवा लिख भेजें :
पाठक वीथि,
'समुत्कर्ष' बी-7, हिरणमगरी सेक्टर-14, उदयपुर-313001

सागर संतरण

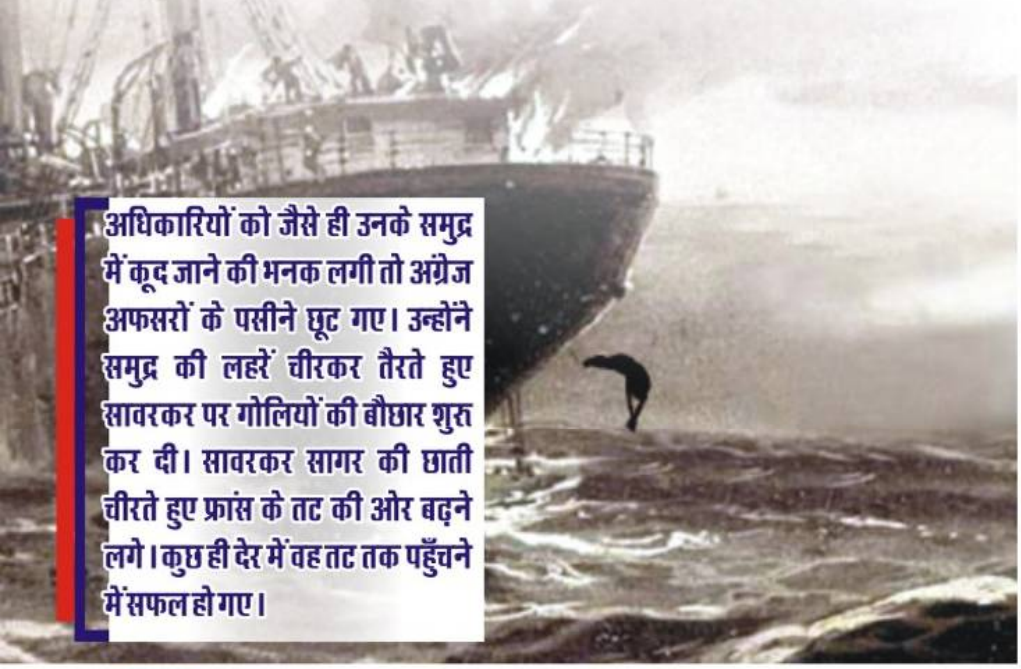

अधिकारियों को जैसे ही उनके समुद्र में कूद जाने की भनक लगी तो अंग्रेज अफसरों के पसीने छूट गए। उन्होंने समुद्र की लहरें चीरकर तैरते हुए सावरकर पर गोलियों की बौछार शुरु कर दी। सावरकर सागर की छाती चीरते हुए फ्रांस के तट की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वह तट तक पहुँचने में सफल हो गए।

1 जुलाई, 1910 को 'मोरिया' जलयान से सावरकर को कड़े पहरे में भारत रवाना कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को भनक लग गई थी कि सावरकर को रास्ते में छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है, अत: बहुत कड़े सुरक्षा-प्रबंध किए गए थे।

8 जुलाई को जलयान फ्रांस के मार्सेल बंदरगाह के निकट पहुँचने ही वाला था कि सावरकर शौच जाने के बहाने पाखाने में जा घुसे। उन्होंने दरवाजे पर अपना गाउन टाँग दिया। फुर्ती के साथ उछलकर वह पोर्ट हॉल तक पहुँचे तथा समुद्र में कूद पड़े।

तट पर पहुँचकर उन्होंने फ्रांसीसी सिपाही से कहा कि वह राजनीतिक बंदी हैं अत: उन्हें फ्रांस की पुलिस को सौंप दिया जाए। इसी बीच जलयान के अंग्रेज अधिकारी "चोर! चोर!! पकड़ो! पकड़ो!!" का शोर मचाते हुए मोटर बोटों से पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने फ्रांसीसी सिपाही को कुछ रुपये (रिश्वत) दिए और सावरकर को पकड़कर वापस जहाज पर ले आए। अब उन्हें हथकड़ी-बेड़ी पहनाकर एक पिंजरे में डाल दिया गया।

एक भारतीय क्रातिकारी के इस प्रकार अंग्रेज अफसरों की आँखो में धूल झोंककर, समुद्र में कूद जाने की घटना के प्रकाशित होते ही पूरे संसार में सावरकर के साहस और शौर्य की चर्चा हो गई।

यह सनसनीखेज तथ्य भी प्रकाश में आया कि सावरकर को जलयान से छुड़ाने की योजना उनके साथियों ने पहले ही बना ली थी। मैडम कामा, अय्यर तथा सरदार सिंह राणा फ्रांस पहुँचकर उन्हें छुड़ाने की तैयारी कर चुके थे, किंतु कुछ समय की देरी होने से उन्हें वांछित सफलता नही मिली।

अब संसार भर में यह प्रश्न खड़ा हो गया कि फ्रांस के तट पर पहुँच जाने के बाद उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को पुन: सौप दिया जाना कहाँ तक उचित था। फ्रांसीसी सरकार ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि क्योंकि समाचार पत्रों में चर्चा है कि सावरकर को फ्रांस के तट से पकड़ा गया था, अत: ब्रिटिश सरकार इसका स्पष्टीकरण देने तक मुकदमा स्थगित रखे। ■■■

सावरकर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में

स्वतन्त्र राष्ट्र फ्रांस की भूमि में आकर एक बन्धन मुक्त नागरिक को बलात् उठा ले जाना एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध था। जागरुक फ्रांसीसी नागरिकों ने भी इंग्लैण्ड की पुलिस के कृत्य की आलोचना की तथा वीर सावरकर को वापस लाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। उस समय जर्मनी के विरुद्ध आत्मरक्षा के लिए इंग्लैण्ड और फ्रांस निकट आ रहे थे, अत: फ्रांस की सरकार इस कार्य के लिए इंग्लैण्ड पर दबाव नहीं डाल सकी। अत: दोनों देशों ने इस मामले को हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया।

इस न्यायालय की प्रथम बैठक 16 फरवरी, 1911 को हुई। बाद में 24 फरवरी को ही न्यायालय ने एकतरफा निर्णय दे दिया कि वीर सावरकर को फ्रांस को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पक्षपातपूर्ण निर्णय की भी विश्व भर में आलोचना की गई।

भारत में न्याय का नाटक

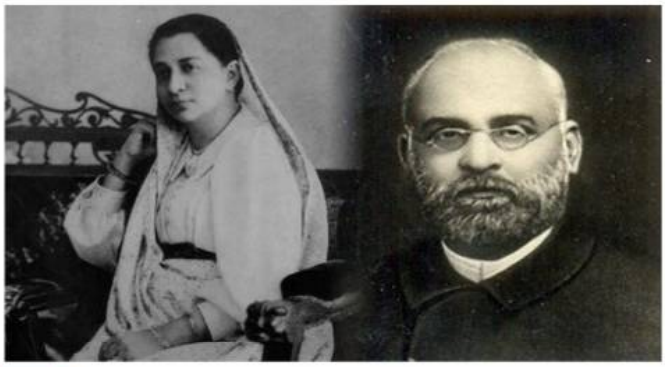

जंजीरों में जकडे सावरकर को लेकर जहाज 22 जुलाई 1910 को तत्कालीन बॉम्बे बंदरगाह पहुँचा। परन्तु आई. जी. माइकल केनेडी की अगुवाई वाले ब्रिटिश पुलिस दल ने बंदरगाह पहुँचने से पहले ही गुप्त रुप से सावरकर को जहाज से उतार लिया। फिर उन्हें विशेष ट्रेन के द्वारा पहले नासिक ले जाया गया तदुपरान्त वीर सावरकर को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार ने एक विशेष न्यायालय की स्थापना की, जिसमें तीन न्यायाधीश थे- बेसिल स्कॉट (मुख्य न्यायाधीश), एन. जी. चन्द्रावरकर तथा हीटन। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीमती कामा आदि क्रान्तिकारियों ने वीर सावरकर की पैरवी करने के लिए प्रसिद्ध अंग्रेज वकील जोसेफ वेपतिस्ता को नियुक्त किया। वेपतिस्ता के अतिरिक्त श्री गोविन्द राव गाडगिल, श्री रंगनेकर तथा श्री चितरे ने इस मुकदमें में स्वेच्छा से वीर सावरकर की कानूनी सहायता की।

यहाँ सावरकर पर दो अभियोग और लगाए गए-

1. 36 अन्य व्यक्तियों के साथ ब्रिटेन के सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र।
2. नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या की प्रेरणा देना।

15 दिसम्बर, 1910 से यह मुकदमा बम्बई में प्रारंभ हुआ। सावरकर की ओर से प्रार्थना-पत्र देते हुए उनके वकील जोसेफ वेपतिस्ता ने अदालत में कहा था कि यह गिरफ्तारी फ्रांस की भूमि से अवैध रूप में हुई थी। इस अवैध गिरफ्तारी पर अभी विवाद ही चल रहा था। अत: विवाद के निर्णय तक इस मुकदमे को स्थगित करने की प्रार्थना की, किन्तु यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। ■■■

मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित

24 दिसम्बर, 1910 को न्यायालय ने वीर सावरकर को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की प्रेरणा देने, बम आदि बनाने का प्रशिक्षण देने के आरोप में धारा 121-अ के अंतर्गत जीवन पर्यन्त कारावास तथा सम्पत्ति की जब्ती का दंड सुनाया। उनके साथ अन्य 25 युवकों को भी विभिन्न अवधि के कारावास का दंड मिला।

प्रथम मुकदमे के बाद जैक्सन हत्याकांड पर दूसरा मुकदमा 23 जनवरी, 1911 से चला तथा एक सप्ताह के अंदर ही 30 जनवरी को इसका निर्णय भी सुना दिया गया। इस निर्णय में भी उन्हें पुन: जीवन भर कारावास का दंड दिया गया। निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट ने स्पष्ट रूप से कहा-**''सावरकर जैसे भयंकर अपराधी को दो आजन्म, अर्थात् पचास वर्ष तक काले पानी में रखा जाए।''**

दो जीवन पर्यन्त कारावास का दंड निश्चय ही एक अभूतपूर्व निर्णय था। इस निर्णय से सारे देश में क्षोभ की लहर दौड़ गई। वीर सावरकर के इस दंड के विरोध में भारतीयों ने हजारों पत्र सरकार को भेजे, किन्तु परिणाम शून्य ही रहा। ■■■

आयु का क्षण क्षण समर्पित

दो कालेपानी का दंड सुना दिये जाने के बाद अन्डमान भेजने से पूर्व वीर विनायक सावरकर को डोंगरी जेल में रखा गया। यहां उन्हें रस्सी के लिए नारियल के रेशे कूटने का काम दिया गया। इसी जेल में एक दिन उनकी पत्नी यमुना देवी (माई) अपने भाई के साथ उनसे मिलने पहुंची। पति को इस रूप से देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।

वीर सावरकर ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए कहा- "चिन्ता न करो। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो पुनः अवश्य भेंट होगी। तब तक यदि सामान्य संसार का भय सताने लगे, तो ऐसा विचार करो कि बेटे-बेटियों की संख्या बढ़ाना तथा चार तिनके जमा करके घर बांधना ही यदि संसार कहलाता है, तो ऐसा संसार तो कौए, चिड़ियां भी बसाती रहती हैं। परंतु यदि परिवार का उदार अर्थ मानव परिवार लेना हो, तो उसे सजाने में तो हम पूर्ण सफल हुए हैं।

माना कि अपना सुखी जीवन हमने अपने ही हाथों ध्वस्त कर डाला। परंतु भविष्य में सहस्त्रों घरों में सुख की वर्षा होगी। क्या तब हमें अपना बलिदान सार्थक न लगेगा? सुखी संसार की कल्पना करने वाले अनेक लोग प्लेग के शिकार बन जाते हैं, उनका घर दीपक विहीन हो जाता है। विवाह मंडप तक से पति-पत्नी को काल दबोच कर ले जाता है। अतः संकटों का सामना करना सीखो और धैर्य रखो।"

श्रीमती यमुना देवी (माई) ने एक वीर पत्नी का परिचय दिया और बोलीं- "आप चिन्ता न करें। मेरे लिए क्या यही कम सुख की बात है कि मेरा वीर पति मातृभूमि की सेवा के लिए कठोर साधना कर रहा है। हम तो परस्पर मिलकर इन कष्टों को सहन कर ही लेंगे। आप हमारी चिंता न करें। स्वयं के विषय में चिन्ता करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपके निश्चिन्त होने पर ही हम निश्चिन्त हो पाएंगें।"

डोंगरी जेल के बाद सावरकर को भायखला जेल भेजा गया और यहां भी पूर्व जेल के समान कठोर परिश्रम के कार्य कराये गए। भायखला, के बाद उन्हें ठाणे जेल स्थानान्तरित कर दिया गया। इस जेल के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है-"ठाणे बन्दीगृह में मुझे जिस काम में रखा गया, उसमें कुख्यात दुष्ट मुसलमान वार्डर रखे गए थे। एकदम एकांत। भोजन आया, कौर भी न निगल सका। बाजरे की बेकार रोटी, न जाने कैसी खट्टी सब्जी। मुंह में रखना भी कठिन। रोटी का टुकड़ा काटा जाए, थोड़ा चबाया जाए, घूंट भर पानी पिया जाए और उसी के साथ कौर निगल लिया जाए।"

इस जेल में एक दिन वार्डर ने उन्हें सूचना दी कि उनके छोटे भाई डॉ. नारायण दामोदर सावरकर को भी इसी जेल में रखा गया है। 20 वर्षीय नारायण सावरकर को लॉर्ड मिंटो पर बम फैंकने के आरोप में बंदी बनाया गया था। यहाँ स्मरणीय है कि सबसे बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर पहले ही कालेपानी की सजा भुगतने के लिए अन्डमान भेजे जा चुके थे।

उसी वार्डर के हाथों वीर सावरकर ने छोटे भाई नारायण को एक पत्र भेजा। पत्र के माध्यम से उन्होंने छोटे भाई को कष्टों से विचलित न होने की शिक्षा दी थी-

"तुम मेरे विषय में बिलकुल चिन्ता न करना, और न मन को खिन्न करना। वाष्प यंत्र को प्रेरणा देने के लिए अपने देह का ईंधन बनाकर यदि किसी को जलते रहना है, तो वह स्थान हमें ही क्यों न प्राप्त हो। जलते रहना भी तो एक कर्म है। इतना ही नहीं, एक महान कर्म है।"

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पत्र से नारायण सावरकर को एक आदर्श आत्मबल की प्राप्ति हुई होगी।

न्यायालय के निर्णय के बाद वीर सावरकर लगभग चार माह तक इन जेलों में रहे। ■■■

काला पानी / सेल्यूलर जेल (अंडमान) का इतिहास

"अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर जो जुल्म ढाए हैं, शायद ही हम वो सोच भी पाएं। कठोर दंड देने के लिए मशहूर अँग्रेज़ हुकूमत की सजाओं में एक मशहूर सजा थी काला पानी की सजा। इस सजा के बारे में आपने भी काफी कुछ सुना रखा होगा और आईये, जानते है कितनी दर्दनाक होती थी ये सजा ..."

काला पानी के नाम से कुख्यात सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी है। ये जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेजों का इस जेल को बनाने का ख्याल 1857 ई. के विद्रोह में आया था।1857 में सेपॉय विद्रोह के बाद से ही अंडमान द्वीप का उपयोग ब्रिटिशों द्वारा कैदियों को कैद करने के लिए किया जाने लगा था।

1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने अंग्रेजी सरकार को चौकन्ना कर दिया। व्यापार के बहाने भारत आये अंग्रेजों को भारतीय जनमानस द्वारा यह पहली कड़ी चुनौती थी, जिसमें समाज के लगभग सभी वर्ग शामिल थे।

सैंकडों क्रान्तिकारियो के बलिदान की साक्षी सेल्युलर जेल अब स्वतंत्रता का महातीर्थ है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सुन्दरता का प्रतिमान है और सुंदर दृश्यावली के साथ सभी को आकर्षित करता है। बंगाल की खाड़ी के मध्य प्रकृति के खूबसूरत आगोश में विस्तृत 572 द्वीपों में भले ही मात्र 38 द्वीपों पर जनजीवन है पर इसका यही अनछुआपन ही आज इसे प्रकृति के स्वर्ग के रूप में परिभाषित करता है।

दिल्ली में हुए युद्ध के बाद अंग्रेजो को आभास हो चुका था कि उन्होंने युद्ध अपनी बहादुरी और रणकौशलता के बल पर नही बल्कि षड्यंत्रों, जासूसों, गद्दारी से जीता था। अपनी इन कमजोरियों को छुपाने के लिए जहाँ अंग्रेजी इतिहासकारों ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम को सैनिक ग़दर मात्र कहकर इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की, वहीं इस संग्राम को कुचलने के लिए भारतीयों को असहनीय व अविस्मरणीय यातनाएँ भी दी।

एक तरफ लोगों को फांसी दी गयी, पेड़ों पर सामूहिक रूप से लटका कर मृत्यु दण्ड दिया गया व तोपों से बांधकर दागा गया, वहीं जिन लोगो से अंग्रेजी सरकार को ज्यादा खतरा महसूस हुआ, उन्हें ऐसी जगह भेजा गया जहाँ से जीवित वापस आने की बात तो दूर किसी अपने-पराये की खबर तक मिलने की कोई उम्मीद भी नही थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेजी सरकार ने रंगून भेज दिया, जबकि इसमें भाग लेने वाले अन्य क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा बतौर अंडमान भेज दिया गया था।■■■

निर्माण और वास्तुकला

अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतके स्वतंत्रता सैनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाही में इस सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 ई. में आरंभ हुआ था और यह पूर्ण रूप से 1906 ई. में बनकर तैयार हुई थी। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था। सेल्यूलर जेल काला पानी नामक जेल के नाम से कुख्यात थी। इस जेल के अंदर 698 कोठरियाँ (बैरक) और 7 खण्ड थे, जो सात दिशाओ में फैलकर पंखुड़ीदार फूल की आकृति का एहसास कराते थे। इसके बीच में एक बुर्जयुक्त मीनार थी और हर खंड में तीन मंजिले थी। इसमें जो कोठरी बनी है उसे सेल कहते है जिसका आकार 4.5 मीटर गुणा 2.7 मीटर है। इन कोठरियों का बनाने का उद्देश्य कैदियों के आपसी मेलजोल को रोकना था, जिससे वह एक जुट ना हो पाए और ना ही कोई रणनीति बना पाए।

इसकी बाहरी दीवारें काफी छोटी थी इसकी ऊँचाई लगभग तीन मीटर की है जिसको कूद कर कोई भी बाहर जा सकता था, लेकिन ये सेल्यूलर जेल भारत की भूमि से बहुत दूर समुद्र में बनी है और उस दीवार को कूदने के बाद चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है जिसे कोई पार नही कर सकता है। कारागार की इन कोठरियों के दीवारों के ऊपर वीर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। इस कारागार में एक संग्रहालय भी है जिसमें अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। इसके मुख्य भवन का निर्माण लाल ईटों से किया गया था जिन्हें बर्मा से लाया गया था।

इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल इसलिए रखा गया क्योंकि इसका निर्माण ऑक्टोपस के आकार का कराया था। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो कि 8 पैर वाला होता है। इस जेल में सात खंड बनाए गए थे और इसका प्रत्येक खंड 3 मंजिल का था। सातों खंडों के बीच एक बड़ा स्तम्भ लगाया गया था जहां से जेल के सभी कैदियों को एक साथ देखा जा सकता था और उनकी हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। इस स्तम्भ के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था जो कोई संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। ■■■

काला पानी की सजा और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुए अमानवीय अत्याचार

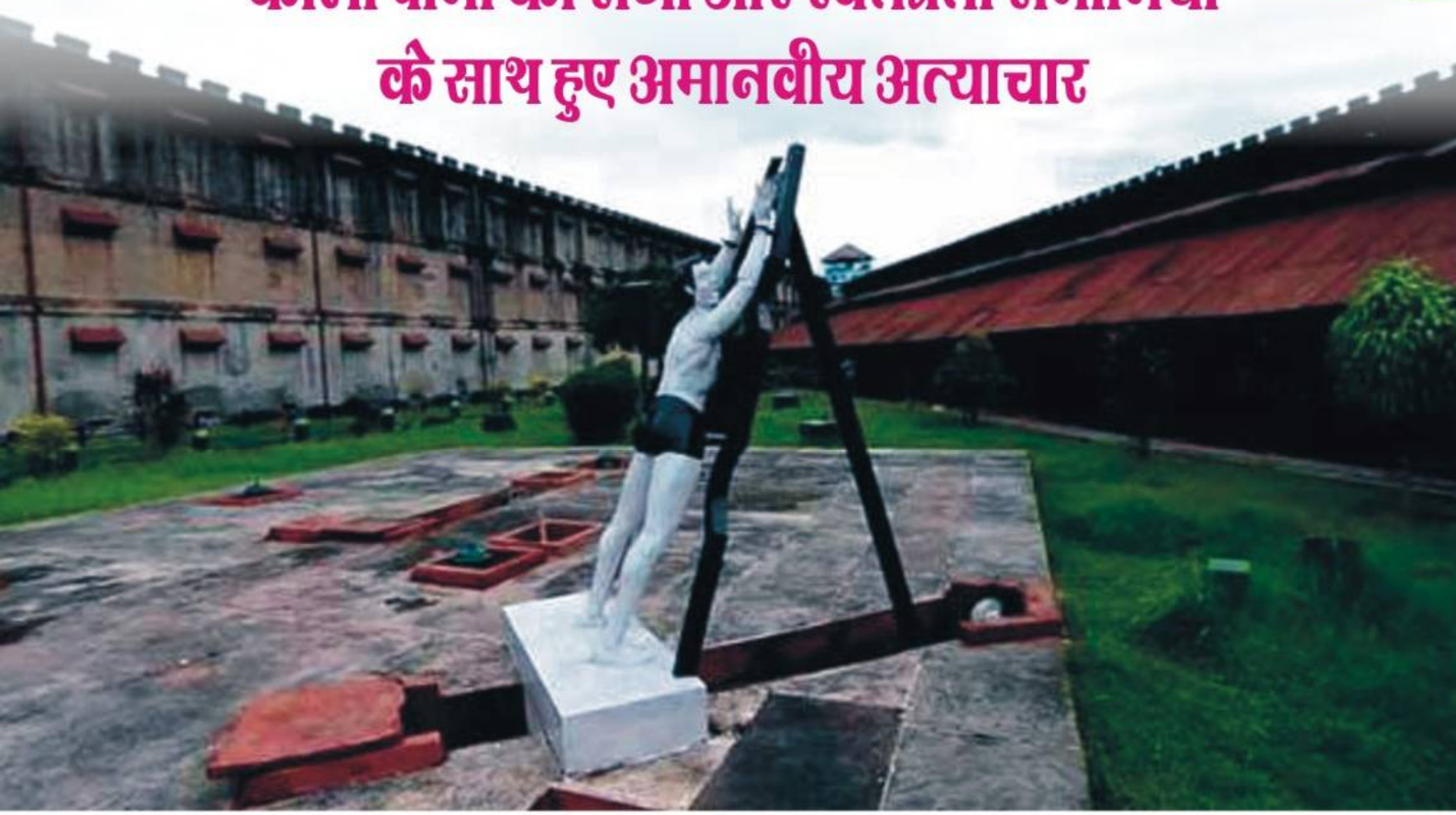

जब हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तब हमें काला पानी की सजा भी याद आ जाती है। उस वक्त के लोगों के काला पानी नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, हालांकि अब देश में काला पानी की सजा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है।

इस सेल्युलर जेल को काला पानी की जेल इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि ये जगह भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर थी। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में आता है, इस जेल में जिन कैदियों को रखा जाता था उन्हें पूरी तरह अलग-अलग रखा जाता था। अंग्रेजों का अलग रखने का मकसद यह भी था कि सारे कैदी अलग रहेंगे तो वह कोई स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति नहीं बना पाएंगे और अकेलापन रहेगा तो वह अंदर से टूट जाएंगे और सरकार की बात उनको मजबूरन मानना ही पड़ेगी।

ऐसे में किन परिस्थितियों में इन देशभक्त क्रान्तिकारियों ने यातनाएँ सहकर आजादी की अलख जगाई वह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते है । सेल्यूलर जेल में बन्दियों को हर दिन कोल्हू (घाणी) में बैल की भांति घूम घूमकर 20 पौंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। इसके अलावा प्रतिदिन 30 पौंड नारियल की जटा कूटने का भी कार्य करना होता। काम पूरा न होने पर बेंतो की मार पडती। टाट का घुटन्ना और बनियान पहनने को दिए जाते थे, जिससे पूरा दिन रगड़ खाकर शरीर और भी चोटिल हो जाता था। अंग्रेजों की नाराजगी पर नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे। इस जेल मे कैदियों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था और यातना भरा काम और पूरा न होने पर कठोर दंड दिया जाता था। खराब व्यवस्था, जंग और काई लगे टूटे-फूटे लोहे के बर्तनों में गंदा भोजन जिसमें कीड़े मकौड़े होते थे, पीने के लिए बस दिन भर दो डिब्बा गंदा पानी, पेशाब-शौच तक पर बंदिशें झेलनी पड़ती थी।

भय पैदा करने के लिए क्रान्तिकारी बन्दियों को फांसी के लिए ले जाते व्यक्ति को तथा उसे फांसी पर लटकते देखने के लिए विवश किया जाता था। वीर सावरकर को तो जान बूझकर फांसीघर के सामने वाले कमरे में ही रखा गया था। फांसी के बाद मृत शरीर को समुद्र में फेंक दिया जाता था। ■■■

'भूख हड़ताल' के बदले मिली मौत

अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर यातना का सिलसिला बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर था लेकिन सवाल यह था कि आखिर किया क्या जाए, ऐसे में भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना हुई तो उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए, उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के सभी प्रयास किए। ताकि किसी को भी इस बारे में कोई खबर न लगे, लेकिन इसकी खबर जल्द ही पूरे जेल में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरुप जेल के सारे कैदी भूख हड़ताल पर चले गए थे। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1937-1938 में इन कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया था।

लेकिन महावीर नहीं टूटे। अंत में उनके दूध में जहर मिलाकर, उन्हें जबरन पिलाया गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई थी। मौत के बाद महावीर के मृत शरीर में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया।

सेल्यूलर जेल के वीर कैदी

यहां पर किन-किन स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था? यहां कुल कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे यह आज तक अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है । जेल में कैद करते समय राजनैतिक और क्रांतिकारी कैदियों को एक-दूसरे से अलग रखा जाता था। अंडमान में जेल की देखरेख के लिए ब्रिटिश सरकार ने अच्छा-खासा बंदोबस्त कर रखा था।

सेलुलर जेल में कैद बहुत से कैदियों में ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी ही थे। वीर सावरकर के अलावा उनके भाई बाबाराव सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, डॉ दीवन सिंह, योगेन्द्र शुक्ला, मौलाना अहमदउल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सदिकपुरी, भाई परमानंद, मौलाना फजल-ए-हक खैराबादी, शदन चन्द्र चटर्जी, मोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंद गोपाल, मलवीन सिंह जैसे अनेक वीरो को 'कालापानी' के दंश को झेलना पड़ा था।

सावरकर बंधुओ को 2 साल तक पता नही चला की वे एक ही जेल में है, क्योकि उन्हें दो अलग-अलग कोठरियों में कैद करके रखा गया था।

मार्च 1868 में 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी। लेकिन अप्रैल तक वे सभी पकडे गये। जिनमे से एक ने आत्महत्या कर ली जबकि बचे हुए कैदियों में से 87 कैदियों को वॉकर ने फांसी की सजा सुना दी थी।

इसके बाद मई 1933 में जेल अधिकारियो का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैदियों ने भूख हड़ताल करना शुरू की। जिनमे 33 कैदियों ने कैदियों के साथ किये जा रहे अमानवीय व्यवहार का विरोध किया और भूख हड़ताल पर बैठ गये। उनमे से महावीर सिंह और मोहन किशोर नामदास, मोहित मोइत्रा की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। इसके बाद घबराकर अंग्रेज सरकार ने सेल्युलर जेल में कैद सभी राजनितिक कैदियों को 1937-38 में रिहा करने का आदेश जारी किया। ■■■

आजादी के बाद नष्ट कर दी गई जेल...

सन् 1942 में अंडमान पर जापानियों का अधिकार हो गया था, इसलिए जापानियों ने वहां से गोरों को मार भगाया था। साथ ही इस जेल में बने सात भागों में से दो को नष्ट कर दिया था। भारत को आजादी मिलने के बाद दो और खंडों को तोड़ दिया गया अब इस समय सिर्फ तीन खंड और मध्य में टावर बचा हुआ है। बाकी भाग को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया है। सन 1963 में यहां गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया जिसमें 500 बेड (बिस्तर) मरीजों के लिए लगाए गए हैं यहां पर तैनात 40 डॉक्टर वहां के निवासियों की सेवा करते थे। सन 1969 में तीन खंडों और स्तम्भ को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था।

अब यह एक प्रकार का पर्यटन स्थल और आजादी का पवित्र तीर्थ बन गया है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब इसके प्रांगण में रोज शाम को लाइट-साउंड प्रोग्राम इन दिनों की यादों को तरोताजा करता है जब हमारे वीरो ने काला पानी की सजा काटते हुए भी देश भक्ति का जज्बा नही छोड़ा था।

"सेल्यूलर जेल की खिडकियों से अभी भी जुल्म की दास्ताँ झलकती है। ऐसा लगता है मानो अभी फफक कर दीवारें रो पड़ेंगी। वाकई में देश के हर एक व्यक्ति विशेषकर बच्चों को सेल्युलर जेल के दर्शन जरुर करने चाहिए, ताकि आजादी की कीमत का उन्हें अहसास हो सके। देशभक्ति के जज्बे से भरे देशभक्तों ने सेल्यूलर जेल की दीवारों पर अपने शब्द चित्र भी अंकित किये थे। दूर दूर से आकर लोग इस पावन स्थल पर आजादी के दीवानों का स्मरण कर अपनी भावभीनी श्रद्धान्जली अर्पित करते है एवं इतिहास के गर्त में झाँककर उन पीडाओं को महसूस करते है, जिनकी बदौलत आज हम आजादी के माहौल में साँस ले रहे है। बदलते वक्त के साथ सेल्लूलर जेल इतिहास की चीज भले ही बन गया हो पर क्रांतिकरियो के संघर्ष, बलिदान एवं यातनाओं का साक्षी यह स्थल हमेशा याद दिलाता रहेगा कि स्वतंत्रता यूँ ही नही मिली, इसके पीछे असंख्य क्रान्तिकारियों के संघर्ष, त्याग एवं बलिदान की गाथा है।"

सेल्यूलर जेल में क्राँतिकारियों को यातना के सांकेतिक दृश्य

अन्डमान को प्रस्थान

चार माह तक उपर्युक्त जेलों में रहने के बाद अंत में एक दिन महाराजा नामक जलयान उन्हें लेकर अन्डमान की ओर चल पड़ा और 4 जुलाई, 1911 को वह अन्डमान पहुंच गए। अन्डमान की कुख्यात सेल्युलर जेल का जेलर एक आयरिश था, जिसका नाम बारी था। पहली बार सामना होते ही बारी बोला-''यदि मार्सेल्स की तरह भागने का प्रयास करोगे, तो भयंकर संकट में पड़ जाओगे। जेल के चारों ओर गहन वन हैं, और उनमें भयानक वनवासी लोग रहते हैं। तुम जैसे युवकों को वे ककड़ी की तरह खा जाते हैं।''

यह सुनकर सावरकर बोले-''गिरफ्तार होते ही मैंने अपने भावी निवास स्थान अन्डमान की जानकारी के लिए यहां के इतिहास का अध्ययन कर लिया है। अत: आपको इस विषय में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं।''

अन्डमान याने कालापानी

सावरकर को अन्डमान जेल में सातवीं बैरक की 123वीं कोठरी में रखा गया। इस जेल में भारत से हत्या, डकैती आदि गंभीर अपराधों में दंडित भयंकर अपराधी रखे जाते थे। साथ ही राजनीतिक मामलों में जीवन पर्यन्त कारावास मिलने पर भी कैदियों को यहां भेज दिया जाता था। यहां कैदियों का जीवन एकदम निम्न स्तर का था और जैलर, वार्डर आदि का व्यवहार पूर्णतया अमानवीय। वीर सावरकर ने अपने इस जीवन के प्रारंभिक दिनों का वर्णन

करते हुए लिखा है-

''जमादार मुझे लेकर सात नंबर बैरक की ओर चल पड़ा। मार्ग में पानी का एक हौज मिला। जमादार बोला-'इसमें नहाओ।' मैंने कई दिनों से स्नान नहीं किया था। समुद्र-यात्रा से शरीर मलिन और पसीने से तर हो गया था, अत: स्नान की अनुमति मिलते ही अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। मुझे लंगोट दे दी गई कि इसे पहनकर स्नान करो। लंगोट पहनकर ज्यों ही पानी लेना चाहा कि इसी बीच जमादार ने चिल्लाकर कहा-'ऐसा नहीं करना, यह काला पानी है। जब मैं आज्ञा दूंगा कि पानी लो, तब तुम झुककर एक कटोरा पानी लेना। फिर मैं कहूंगा 'अंग मलो' तो उससे अंग मलना। फिर जब मैं कहूंगा और पानी लो, तब तुम और दो कटोरे पानी लोगे। बस कुल तीन कटोरों में स्नान होगा।'

''आदत के अनुसार जैसे ही चुल्लू भर पानी से कुल्ला किया कि खारे पानी से जीभ का स्वाद बिगड़ गया। पूरा शरीर कसमसा गया। लगा कि इससे तो स्नान न करना ही अच्छा रहता, किन्तु फिर विचार किया कि इसकी आदत तो डालनी ही होगी। लन्दन तथा पेरिस के टर्किशी बाथ का आनंद लिया, तो अन्डमानीश बाथ का भी आनंद लेना चाहिए।

''दूसरी प्रात: जेल का वार्डर पठान दौड़ता हुआ सावरकर के पास आया और उसने कहा- 'साहब आता है, खड़े रहो।' सावरकर दरवाजे की सलाखों के पास खड़े हो गए। तभी कुछ अन्य गोरों के साथ जेलर बारी वहां आया। उसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर सिद्ध करने के लिए चर्चा छेड़ दी। बदले में सावरकर ने निर्भीकता के साथ प्रबल प्रमाण देकर इसे स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया।

जेल में कैदियों के साथ एकदम अमानवीय व्यवहार होता था। जेलर बारी का व्यवहार पूर्णतया एक असभ्य व्यक्ति के जैसा था। यदि वीर सावरकर को संबोधन में कोई बाबू कह देता, तो वह (बारी) चिल्ला पड़ता- 'कौन साला बाबू है? यहां सब साले कैदी है।' वह सावरकर को राजनीतिक बंदी मानने को भी तैयार नहीं था। उन्हें खतरनाक अपराधी का वार्ड 'डी' दिया गया, जिसे उन्हें अपने कपड़ों पर लगाना पड़ता था।'

सेल्युलर जेल में अमानवीय यन्त्रणाएं

कैदियों को नारियल का रेशा कूटकर निकालने का काम दिया गया। इस काम को करते हुए कैदी आपस में बोलते भी रहते थे। एक बार कलकत्ता से कोई अधिकारी इस जेल में देखने आया, उसे कैदियों का आपस में बोलना भी सहन नहीं हुआ। आदेश दिए गए कि कैदियों से अधिक कठोरता से काम लिया जाए।

> **अतः उन्हें कोल्हू में जोता जाने लगा। आपस में बातें करने पर एक सप्ताह तक हथकड़ी डाल दी जाती थी। कोल्हू में जोतने के लिए राजनीतिक कैदियों के स्वास्थ्य की किसी प्रकार की चिंता नहीं की जाती थी। कोठरी में बंद होकर कैदी कोल्हू पेरते, भोजन के समय उन्हें खोला जाता। इस समय भी उन्हें हाथ तक नहीं धोने दिया जाता। हाथ धोने पर अथवा क्षण भर के लिए धूप में खड़े हो जाने पर नम्बरदार मां-बहन की भद्दी गालियां देने लगता। पीने के पानी के लिए भी उसकी मिन्नतें करनी पड़तीं। दो से तीसरा कटोरा पानी पीने को नहीं मिलता। नहाना वर्षा के अतिरिक्त हो ही नहीं पाता था। खाना मिलते ही कैदी को कोठरी में पुनः बंद कर दिया जाता।**

उसने खाया या नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोठरी में जाते ही बाहर से आवाज आने लगती-'बैठो मत, शाम को तेल पूरा हो, नहीं तो पीटे जाओगे और जो सजा मिलेगी, सो अलग।''

बहुधा कैदी कौल्हू में जुते-जुते ही खाना खाते जाते। कम तेल निकलने पर डंडों, लातों, घूसों से पशुओं की तरह पीटा जाता। बुखार 102 डिग्री से कम होने पर बारी कोई छूट नहीं देता। सिर दर्द, पेट दर्द आदि रोग जो दिखाई नहीं देते, उनकी शिकायत करने पर तो कैदी की दुर्गति ही कर दी जाती। कैदी द्वारा बुखार की शिकायत करने पर डॉक्टर थर्मामीटर लगाता, किन्तु इन रोगों में कोई पता न लगता। डॉक्टर हिन्दू था। बारी उसके साथ भी दुर्व्यवहार करता और कहता-'देखो डॉक्टर! तुम हिन्दू हो, यह राजनीतिक कैदी भी हिन्दू है इनकी मीठी बातों से कहीं तुम खटाई में न पड़ जाओ, हमें ऐसा डर है। कोई जाकर शिकायत कर दे कि तुम इनसे बोलते रहते हो तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए संभल जाओ। समझे, नौकरी करो। माना कि तुम डॉक्टरी पढे हो, परंतु हम भी गुणवान हैं। कौन बीमार है, कौन नहीं, मैं देखते ही ताड़ लेता हूं।'

वीर सावरकर के बड़े भाई श्री गणेश सावरकर भी इसी जेल मे थे। एक बार उनके माथे में भयंकर दर्द था। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल ले जाने की अनुमति दे दी। उन्हें अस्तपाल में ले जाने की समस्त कार्यवाही भी हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। इतने में बारी वहां पहुंच गया और आते ही, बिगड़ उठा-''मुझसे क्यों नहीं पूछा? वह डॉक्टर कौन होता है? साले ले जाओ इसे वापस। काम में लगाओ। मैं समझ लूंगा डॉक्टर को। बिना मुझसे पूछे इसे कोठरी से बाहर क्यों निकाला? ओ साले! जेलर मैं हूं कि वह डॉक्टर।' परिणामस्वरूप रोगी को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। भोजन - वस्त्र, मार-पीट, गाली-गलौच यह सब तो था ही इसके अतिरिक्त कैदियों को उनकी प्राकृतिक आवश्यकताओं (मल-मूत्र-परित्याग) की भी स्वतंत्रता नहीं थी। प्रातः, सायं और दोपहर के अतिरिक्त कैदी अपनी इन अनिवार्य क्रियाओं को भी नहीं कर सकते थे। रात्रि में इन क्रियाओं की आवश्यकता होने पर सवेरा होने पर सफाई कर्मचारी का सामना करना पड़ता था और पेशी लग जाती थी। खड़ी हथकड़ी लग जाती थी और आठ घंटे खड़ा रहना पड़ता था। अन्य अपराधी कैदी तो यदा-कदा दीवार पर ही मूत्र त्याग कर देते थे, किन्तु राजनीतिक कैदी तो ऐसा भी नहीं कर पाते।

पुस्तकें पढ़ना और लेना-देना भी अपराध माना जाता था। पुस्तकें पढ़ने के विषय में बारी का दृष्टिकोण एकदम मूर्खतापूर्ण था। वह प्रायः कहता था-नान्सेन्स! शट्! यह कैण्ट-वैण्ट की किताबें मैं नहीं देना चाहता। इन्हीं किताबों को पढ़कर ये लोग हत्यारे हो जाता हैं और यह योग-वोग,

फिलोसोफी की पुस्तकें बेकार हैं, किन्तु अधीक्षक इन बातों को सुनता ही नहीं, मैं करूं तो क्या करूं! मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, फिर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। किताबें पढ़ना औरतों का काम है।''

एक बार एक राजनीतिक बंदी भूगर्भ शास्त्र की कोई पुस्तक पढ़ रहा था। उसने अपनी कॉपी में कुछ उतारा था, बारी ने उसे देख लिया और चिल्लाया-''पकड़ लिया। यह गुप्त लिपि क्या है?'' उसने इस विषय में सावरकर से भी पूछा। उन्होंने बताया कि वह बंदी भूगर्भशास्त्र पढ़ रहा था, किंतु बारी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आयरिश होने के कारण वह अंग्रेजी नहीं समझता था। दूसरे दिन दंडस्वरूप दो सप्ताह के लिए उसकी पुस्तकें छीन ली गई।

जेलर बारी के बर्बर और पशुतापूर्ण व्यवहार का शिकार नवयुवक कैदी परमानन्द भी हुआ। बारी ने जैसे ही उसे आदतन गाली दी, परमानन्द का खून खौल उठा। उसने वार्डरों को परे धकेल कसकर दो झापड बारी को रख दिए। बारी अपनी जान बचा भाग खडा हुआ पर यवन वार्डरों ने परमानन्द को लहूलुहान कर दिया। सावरकर के नेतृत्व में राजनीतिक बन्दियों ने इस अत्याचार के विरोध में हडताल कर दी। परिणामत: आने वाले कालखण्ड में भीषण यन्त्रणाओं में कमी आई। ■■■

दोनों भाइयों का मिलन...

अन्डमान की एक ही जेल में वीर विनायक सावरकर तथा उनके अग्रज गणेश सावरकर, दोनों कई वर्षों तक रहे, किन्तु उन्हें प्रारंभ से ही पृथक-पृथक रखा गया। अत: दोनों भाई एक-दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। बड़े भाई के इस दंड का समाचार वीर सावरकर को लन्दन में मिल गया था, परंतु छोटे भाई के विषय में बड़े भाई को कुछ भी ज्ञात नहीं था। दोनों भाई छोटे भाई के लन्दन प्रस्थान करने के दिन से एक-दूसरे से कभी नहीं मिले थे। वीर विनायक सावरकर को बड़े भाई से मिलने की तीव्र लालसा थी। इसके लिए उन्होंने वार्डरों से प्रार्थना की थी, परंतु बारी के आतंक के कारण कोई भी ऐसा करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। एक दिन दिनभर पेरा हुआ तेल नपवाकर वीर सावरकर अपनी कोठरी की ओर लौट रहे थे, अनायास ही दोनों भाइयों की भेंट हो गयी। सहसा बड़े भाई के मुंह से निकल पडा-''तात्या! तुम!!''

तात्या (वीर सावरकर) ठहर पड़े, वह अपने अग्रज से कुछ बातें करना चाहते थे, किन्तु वार्डरों ने ऐसा नहीं करने दिया। विवशता के कारण दोनों भाई अपनी-अपनी कोठरियों की ओर चल पड़े।

दूसरे दिन वीर सावरकर को अग्रज का एक पत्र वार्डर द्वारा प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा था-

सहयोग निवेदन

प्रकाशन सहयोग : **तीन वर्ष ₹1000** **छ: वर्ष ₹ 2000** **दस वर्ष ₹ 3000**

- चेक/डी.डी **'समुत्कर्ष'** के नाम से उदयपुर में देय हो, जिसे 'समुत्कर्ष' बी-7 हिरण मगरी, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.) के पते पर भेजा जाना चाहिए। पाठक अपना सदस्यता सहयोग **ICICI Bank शाखा-मधुवन,उदयपुर** के बचत खाता संख्या **004501022935 ifsc कोड : ICIC0000045 में** जमा करा कर पावती की छाया प्रति / सूचना मोबाइल नंबर **94130 21167** पर हमें प्रेषित करें।
- अब आप समुत्कर्ष की सदस्यता **www.samutkarsh.co.in** वेब साइट पर जाकर **Online** भी ले सकते हैं।
- कृपया अपना नाम एवं पता स्पष्ट अक्षरों में पिन-कोड, फोन नं. और ई-मेल आई.डी. के साथ भरें।
- समुत्कर्ष किसी भी डाक की विलंब, परिवहनक्षति या सदस्यता फॉर्म की किसी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
- आप समुत्कर्ष की सदस्यता आप हमारी वेबसाइट **www.samutkarsh.CD.in** पर जाकर **Online** भी ले सकते हैं।
- अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिए सम्पर्क करें : 94130-25551, 94146-59533, 94130 21167

यह फॉर्म भरकर चैक/डी.डी. के साथ भिजवाएं

हाँ मैं चाहता हूँ : **तीन वर्ष ₹1000** ☐ **छ: वर्ष ₹ 2000** ☐ **दस वर्ष ₹ 3000** ☐ प्रकाशन सहयोग

रुपये के लिए **'समुत्कर्ष'** के नाम से चेक/डी.डी नंबर .....दिनांक.....

बैंक..... संलग्न है।

नाम /पता.....

.....

शहर : ..... राज्य :..... पिन :..... देश .....

ई-मेल :..... टेलीफोन :.....

मैं समझता हूं कि उसी कसौटी पर हम सब खरे उतरे हैं। संकटों का सामना करना, कारागृह में सड़ते रहना, जिनके लिए इतने कष्ट सहन किये, उनके शाप से मरते रहना, यही सब अपने जीवन का ध्येय है। यह उतना ही महान है, जितना कि बाहर रहकर कीर्ति तथा दुन्दुभियों के ताल पर जूझते रहना महान माना जाता है। क्योंकि अन्तिम विजय प्राप्ति में ज्ञात रुप से जूझते रहना तथा दुन्दुभियों की ध्वनि का निनादित होना जितना आवश्यक माना जाता है, उतना ही कन्दराओं में, बन्दीगृह में कराहते रहना तथा अज्ञात स्वरुप में प्राणोत्क्रमण करना आवश्यक माना जाता है।''

''प्रिय तात्या!''

तुम बाहर रहकर मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कार्य करोगे, मुझे ऐसी आशा थी। उस आशा के बल पर मैं अपने काला पानी के दंड को प्रसन्नता से भोग रहा था। मन उन कष्टों को तुच्छ मानता था। हम दोनों भाई तो जेलों में बंद कर दिये गये और केवल तुम ही बाहर मातृभूमि की आराधना में लीन हो, यही कल्पना मुझे धीरज देती थी। कष्ट की सफलता साकार करती थी। किन्तु तुम पेरिस में कार्य करते-करते इनके हाथों न जाने कैसे पड़ गये। अब उस क्रान्ति ज्योति को कौन जलाएगा? और 'बाल' अपना 'बाल' अब किसका मुंह ताकेगा? मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष देखा है, फिर भी विश्वास नहीं होता-हाय! ओह! तुम यहां कैसे आये....''

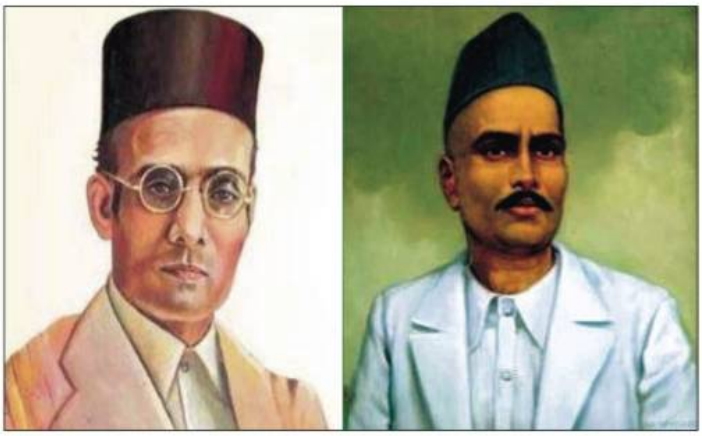

इस पत्र को पढ़कर उन्हें अपने कर्त्तव्य के प्रति विफलता के कारण असीम आत्मिक वेदना हुई। उन्होंने भी बड़े भाई के लिए वार्डर के माध्यम से एक पत्र भेजा। इस पत्र के मुख्य अंश अधोलिखित हैं-

''लौकिक तथा भाग्योदय की राख शरीर में मलकर जूझते रह जाना, यही तो अलौकिक भाग्य है। तो फिर दुःख क्यों? यदि मैं परीक्षा में ही असफल सिद्ध होता, तो मेरी योग्यता तथा कर्तव्य मिट्टी में मिल जाते। यदि 'सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वां त्वक् चैव परिदह्यते (मेरे समस्त अंग जड़ हो रहे है, मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है तथा त्वचा जल रही है।) इस स्थिति में होकर मैं कर्त्तव्यच्युत हो जाता, तो किसे मुंह दिखाता? परंतु उस प्रकार की कुछ भी घटना

न होकर तथा प्राप्त संकटों का सामना करने हेतु सिद्ध हुआ हूं। मैंने भारतीय जनता को जो संकटों का सामना करने का उपदेश दिया है, यदि मैं स्वयं उन संकटों से डरकर भागने लगता, तो क्या मैं कर्त्तव्यभ्रष्ट न हो जाता? वास्तव में संकटों को झेलने में ही हम सबकी योग्यता है, कर्त्तव्यनिष्ठा समाविष्ट है। यश-अपयश केवल योग-अयोग की बात है। इसी प्रकार स्वातन्त्र्य युद्ध में लक्ष्मीबाई तलवार के एक घाव से स्वर्ग सिधार जाती है। कोई सैनिक केवल प्रथम वार से ही कट मरता है। उनका कर्त्तव्य योग-अयोग पर प्रायः निश्चित नहीं होता! युद्ध जीतें और जीतते-जीतते मर जाएं, तो फिर उस जीत का उपभोग करने के लिए मैं पीछे रह जाऊं? ऐसी दुष्ट तथा कायर इच्छा मन में धारण न करते हुए, वह सैनिक जब आवश्यकता पड़ी, तब अन्य के साथ-साथ अविचल भाव से सैन्य के अग्र में जूझता रहा या नहीं, इसी पर उसकी सच्ची योग्यता और कर्तव्यनिष्ठा निर्भर करती है। ■■■

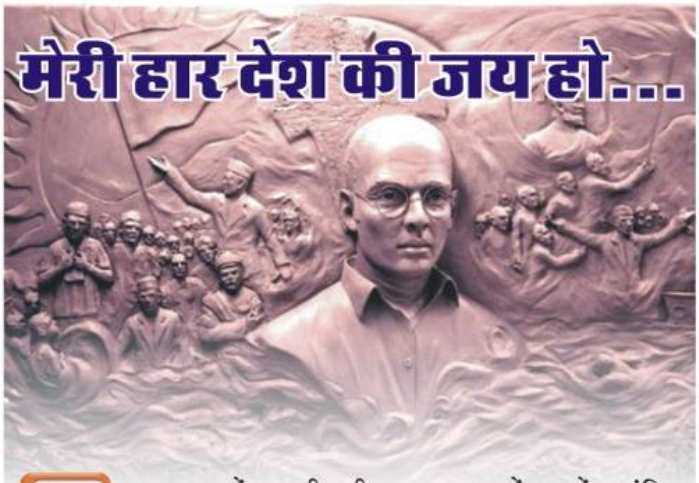

अण्डमान में बन्दी-जीवन काल में उन्हें वांछित एकांत मिल गया, जहां उन्होंनें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्या पर गहन विचार किया। उन्होंने अनुभव किया कि देश में चलने वाला स्वतंत्रता संग्राम इस पुरातन राष्ट्र का बन्धन तोड़ने का प्रयास है, जो 1000 वर्षों से गुलामी में पड़ा है और जो अपने अधिकार का दावा करने को उद्यत है। उन्होंने यह भी समझा कि उनके पूर्ववर्ती अरविन्द, तिलक आदि स्वातंत्र्य सेनानी भी अनजाने ही भारत राष्ट्र के स्वतंत्र होने की कामना व्यक्त करते रहे थे। उन्होंने समझा कि यह राष्ट्र सदियों से इसी भावना और आस्था का स्वामी रहा है और इसी कारण आपत्तिकाल में वह निरन्तर अपने पैरों पर खड़ा रहा है। उन्हीं दिनों उन्हें भारतमाता के अस्तित्व की भी अनुभूति हुई और उनके सामने आंदोलन का स्पष्ट स्वरूप उभर कर आया। भारत को एक 'निर्माणाधीन संश्लिष्ट राष्ट्र' बताने की ब्रितानी साजिश भी उन्होंने समझी। उन्होंने यह अनुभव भी किया कि अहिन्दू वर्ग देश के राजनीतिक तंत्र में एकरस नहीं हो सका है, वह अब भी अपने हित भारतेत्तर देशों में देखता पहिचानता है और कि यह वर्ग कुछ दिनों पहले ब्रिटेन द्वारा विजित अपना राज्य पुन: स्थापित करने के सपने भी देख रहा है। उन्होंने देखा कि अण्डमान में जो दो चार मुसलमान बन्दी हैं, वे भी युवा क्रान्तिकारियों को धर्म परिवर्तन के हेतु फुसलाने का प्रयास करते हैं। अत: धीरे-धीरे सावरकर की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति ठण्डी होने लगी और उन्होंने वह माध्यम प्राप्त किया जो आगे चलकर उनके जीवन का ध्येय बना। 'हिन्दुत्व' और 'हिन्दूपद पादशाही' पुस्तकें जो अण्डमान काल के उपरान्त लिखी गई हैं, स्पष्टतया उनके विचारों में आ गये परिवर्तन को उजागर करती हैं। ■■■

जेल में साहित्य-सृजन

सावरकर ने अण्डमान में कारावास के दौरान अनुभव किया कि मुसलमान वार्डर हिंदू बंदियों को यातनाएँ देकर उनका धर्मपरिवर्तन करने का कुचक्र भी रचते हैं। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण धर्मपरिवर्तन का डटकर विरोध किया तथा बलात् मुस्लिम बनाए गए अनेक बंदियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की।

उन्होंने अंडमान की काल कोठरी में कई कविताएँ लिखीं।

'कमला', 'गोमांतक' तथा 'विरहोच्छ्वास' जैसी रचनाएँ उन्होंने जेल की यातनाओं से हुई अनुभूति के माहौल में ही लिखी थीं।

उन्होंने 'मृत्यु' को संबोधित करते हुए जो कविता लिखी वह अत्यंत मार्मिक व देशभक्ति से पूर्ण थी।

सावरकर ने अंडमान कारागार में होने वाले अमानवीय अत्याचारों की सूचना किसी प्रकार भारत के समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने में सफलता प्राप्त कर ली। इससे तमाम देश में इन अत्याचारों के विरोध में प्रबल आवाज उठी।

अण्डमान जेल में लेखन सामग्री का सर्वथा अभाव होने पर भी सावरकर द्वारा काव्य रचना निश्चय ही असंभव को संभव कर दिखाने वाला कार्य था। 'जहाँ चाह, वहाँ राह' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए वे स्वरचित कविताओं को कोयले अथवा पत्थर से रगड़कर कोठरी की दीवारों पर लिख देते थे और बाद में उन्हें कण्ठस्थ कर लेते थे।

विनायक दामोदर वीर सावरकर ने 10000 से अधिक पन्ने मराठी भाषा में तथा 1500 से अधिक पन्ने अंग्रेजी में लिखें हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें 'भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध', मेरा आजीवन कारावास' और 'अण्डमान की प्रतिध्वनियाँ' (सभी अंग्रेज़ी में) अधिक प्रसिद्ध हैं। जेल में 'हिंदुत्व' पर शोध ग्रंथ लिखा। 1909 में लिखी पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस-1857' में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित किया था।

इतिहास

- 1857 चे स्वातंत्र्यसमरजोडला
- भारतीय इतिहासातील सहा सोनेरी पाने (भारतीय इतिहास के सात स्वर्णिम पृष्ठ)
- हिंदुपदपादशाही

कथा

- सावरकरांच्या गोष्टी भाग - 1
- सावरकरांच्या गोष्टी भाग - 2

उपन्यास

- कालेपाणी
- मोपल्यांचे बंड अर्थात् मला काय त्याचे

आत्मचरित्र

- माझी जन्मठेप
- शत्रूच्या शिबिरात
- अथांग (आत्मचरित्र पूर्वपीठिका)

हिंदुत्ववाद

- हिंदुत्व
- हिंदुराष्ट्र दर्शन
- हिंदुत्वाचे पंचप्राण (हिन्दुत्व के पंचप्राण)

स्फुट काव्य

- सावरकरांच्या कविता

लेखसंग्रह

- मॅझिनीच्या आत्मचरित्राची प्रस्तावना-अनुवादित
- गांधी गोंधळ
- लंडनची बातमीपत्रे
- गरमागरम चिवडा
- तेजस्वी तारे
- जात्युच्छेदक निंबध
- विज्ञाननिष्ठ निंबध

स्फुट लेख

- सावरकरांची राजकीय भाषणे
- सावरकरांची सामाजिक भाषणे

नाटक

- संगीत उःशाप
- संगीत संन्यस्त खड्ग
- संगीत उत्तरक्रिया
- बोधिसत्व (अपूर्ण)

कविता

महाकाव्य

- कमला
- गोमांतक
- विरहोच्छ्वास
- सप्तर्षि

जयोस्तु ते श्रीमहन्मंगले। शिवास्पदे शुभदे्
स्वतंत्रते भगवति। त्वामहं यशोयुतां वंदे ।।धृ।।

राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तूं, नीति संपदांची
स्वतंत्रते भगवति। श्रीमती राज्ञी तू त्यांची
परवशतेच्या नभांत तूंची आकाशी होशी
स्वतंत्रते भगवती। चांदणी चमचम लखलखशी।।

गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली
स्वतंत्रते भगवती। तूच जी विलसतसे लाली
तूं सुर्याचे तेज उदधिचे गांभीर्यहि तूंची
स्वतंत्रते भगवती। अन्यथा ग्रहण नष्ट तेंची ।।

मोक्ष मुक्ति ही तुझीच रुपें तुलाच वेदांती
स्वतंत्रते भगवती। योगिजन परब्रम्ह वदती
जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन्मधुर तें तें
स्वतंत्रते भगवती। सर्व तव सहचारी होते ।।

हे अधम रक्त रंजिते । सुजन-पुजिते । श्री स्वतंत्रते
तुजसाठिं मरण तें जनन
तुजविण जनन ते मरण
तुज सकल चराचर शरण
भरतभूमीला दृढ़ालिंगना कधि देशिल वरदे
स्वतंत्रते भगवति। त्वामहं यशोयुतां वंदे।।

हिमालयाच्या हिमसौधाचा लोभ शंकराला
क्रिडा तेथे करण्याचा कां तुला वीट आला
होय आरसा अप्सरसांना सरसे करण्याला
सुधाधवल जान्हवीस्त्रोत तो कां गे त्वां त्यजिला ।।

स्वतंत्रते । ह्या सुवर्णभूमीत कमती काय तुला
कोहिनूरचे पुष्प रोज घे ताजें वेणीला
ही सकल-श्री-संयुता आमची माता भारती असतां
कां तुवां ढकलुनी दिधली
पूर्वीची ममता सरली
परक्यांची दासी झाली
जीव तलमले, कां तूं त्यजिले ऊत्तर ह्याचें दे
स्वतंत्रते भगवति। त्वामहं यशोयुतां वंदे।।

-स्वातंत्र्य वीर सावरकर

पुनः मातृभूमि की गोद में...

अंग्रेज शासन का विचार था कि काले पानी के यातनामय दंड से सावरकर टूट जाएंगे और अपने क्रान्तिकारी विचारों को त्याग देंगे, किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेर पिंजरे में बंद हो जाने पर भी शेर ही रहता है। अण्डमान की काल कोठरी में उन्हें भयंकर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दिये गए, जिनके परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य बिलकुल चौपट हो गया। उनकी स्थिति को देखकर डॉक्टरों को भी शंका होने लगी कि कहीं उनकी तपेदिक भयंकर न हो जाए। पूरे एक वर्ष तक वह केवल दूध का ही आहार करते रहे।

ऐसे में सावरकर ने अपनी मुक्ति के प्रार्थना पत्र अंग्रेज सरकार को भेजे। पर अंग्रेज सावरकर को मुक्त करने के संभावित भीषण परिणामों को अच्छी तरह समझते थे। इसलिये सावरकर के सभी मुक्ति अनुरोध हर बार निरस्त होते चले गए।

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भाई परमानंद भी उन दिनों इसी कारागार में थे। 1920 में मुक्त होकर भारत लौटने पर वह वीर सावरकर की मुक्ति के प्रयासों में जुट गए। इन्हीं दिनों ब्रिटिश संसद सदस्य काल वेजवुड का भारत आगमन हुआ। वे लाला लाजपत राय के मित्र थे, अतः लाहौर आने पर वह लालाजी के अतिथि बने। लालाजी के सौजन्य से भाई परमानंद वेजवुड से मिले। उन्होंने वेजवुड से वीर सावरकर की मुक्ति के विषय में वार्तालाप किया। वेजवुड ने इस विषय में प्रयत्न करने का वचन दिया स्वदेश वापस जाते समय वह बम्बई प्रांत के गर्वनर से मिले तथा उनसे सावरकर की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। गवर्नर ने बताया कि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था और अल्प ही समय में पदभार ग्रहण करने के लिए अन्य गवर्नर आने वाला था। अतः वेजवुड लन्दन जाने पर नये गवर्नर से मिले और उससे भी यही निवेदन किया। गवर्नर ने उनकी बात स्वीकार कर ली तथा बम्बई में पदभार ग्रहण करते ही स्वास्थ्य के आधार पर सावरकर बन्धुओं को वापस भारत लाने के आदेश दे दिए।

21 जनवरी, 1921 को वीर सावरकर का डी कार्ड (डैंजरस-खतरनाक का प्रतीक) निकाल दिया गया। इस पर उन्हें आश्चर्य तो अवश्य हुआ, किन्तु यह ज्ञात न हो सका कि वह भारत लौट रहे हैं। कुछ ही दिन बाद एक वार्डर ने उन्हें एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था-"अब आपको बम्बई जेल में रखा जाएगा।" मातृभूमि के दर्शनों की प्रसन्नता में वह अपने लौटने की तैयारी करने लगे। ■■■

भविष्य की राह का नव-आलोक...

भारत लाकर सावरकर को रत्नागिरि में स्थानबद्ध कर दिया गया। सावरकरजी ने अण्डमान के कारावास के दौरान अनुभव किया था कि हिन्दुओं को ऊँच-नीच व अस्पृश्यता की कुरीति से मुक्त कर, उन्हें संगठित किया जाना राष्ट्रीय आवश्यकता है। अत: उन्होंने अपना शेष जीवन हिंदू संगठन के कार्य में लगाने का संकल्प लिया।

उन्होंने अपने अनुज नारायण राव सावरकर को प्रेरणा देकर 'श्रद्धानंद' व 'हुतात्मा' नाम से साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कराए। वह छद्म नामों से इन पत्रों में लेख व कविताएँ लिखते रहे। 'हिंदुत्व', 'हिंदू पदपादशाही', 'उ:शाप','उत्तर क्रिया','संन्यस्त खड्ग' आदि ग्रंथ उन्होंने रत्नागिरि में ही लिखे।

सावरकरजी ने रत्नागिरि में हिंदू संगठन का रचनात्मक कार्य शुरू किया। उन्होंने सहभोजों का आयोजन किया जिनमें ब्राह्मणों से लेकर अस्पृश्य कहे जाने वाले बंधुओं तक ने एक पंक्ति में बैठकर भोजन किया। उन्होंने मसूरकर महाराज को प्रेरणा देकर गोआ भेजा, जहाँ उन्होंने पुर्तगालियों द्वारा ईसाई बनाए गए हिंदुओं को शुद्ध कर पुन: हिंदू समाज में दीक्षित किया। जब मसूरकर महाराज को गोवा में गिरफ्तार कर लिया गया तो सावरकर ने प्रयास कर उनकी रिहाई कराई। उन्होंने रत्नागिरी में भी अनेक ईसाई व मुसलमानों की शुद्धि कराई।

सावरकर ने रत्नागिरि में हिंदू महासभा की शाखा की स्थापना कराई तथा उसके तत्त्वावधान में गणेशोत्सव, शिवाजी उत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वो के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना पैदा की। ■■■

साधना के देश में मत नाम ले विश्राम का

रत्नागिरि में स्थानबद्धता के समय वीर सावरकर से कई राष्ट्रीय स्तर के नेता, समाज-सुधारक आदि व्यक्ति मिलने आये थे, जिनसे उनकी तत्कालीन भारत की राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि विषयों पर वार्ता हुई। 1924 में जब रत्नागिरि में प्लेग के प्रकोप के कारण सावरकर को कुछ समय के लिए नासिक ले जाये गये, तो वहां डॉक्टर मुंजे, जगद्गुरू शंकराचार्य आदि ने उनका स्वागत किया। उनका यह स्वागत-समारोह कालेराम मंदिर में सम्पन्न हुआ। उक्त महानुभावों के अतिरिक्त अनेकानेक नागरिकों ने भी इसमें भाग लिया। 'केसरी' के संपादक प्रख्यात पत्रकार नरसिंह चिन्तामणि केलकर ने उन्हें अभिनन्दन पत्र भेंट किया।

> इस अभिनंदन का उत्तर देते हुए वीर सावरकर ने कहा- "आप लोगों ने जिस तरह मेरा सम्मान किया है, उसका मैं क्या उत्तर दूँ... अण्डमान की कालकोठरी में रहते हुए भी मैं सन्तुष्ट था। मैं समझता था कि मेरी मृत्यु वहीं होगी। मैंने जो कुछ किया, निरपेक्ष बुद्धि से किया और इसलिए मुझे दुःख नहीं होता था। मेरा आज इस तरह सम्मान किया जाएगा, यह बात मेरे मन में कभी नहीं आयी। आज की सभा में कई नवयुवक होंगे। मेरा सम्मान देखकर वे यह न समझें कि समाजसेवा, जातिसेवा या धर्मसेवा सम्मान प्राप्ति के लिए करनी चाहिए।"

1925 में डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार शिरगांव, रत्नागिरि में वीर सावरकर से मिले। इस समय तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन नहीं किया था। डॉक्टर हेडगेवार ने सावरकर से हिन्दुओं का कोई राष्ट्रीय संगठन बनाने के विषय में विचार-विमर्श किया। सावरकर इस योजना से अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को इस पुनीत

रत्नागिरि से मुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने 12 दिसंबर, 1937 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपेक्षा की कि हिन्दू युवकों को संस्कृति के साथ ही शस्त्रास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाये। इसके बाद उन्होंने संघ के कई कार्यक्रमों में भाग लिया।

1924 में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता मौलाना मोहम्मद अली ने भी सावरकर से भेंट की। उन्होंने सावरकर की देशभक्ति, त्याग-भावना आदि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, किंतु शुद्धि आंदोलन का विरोध किया। इस पर सावरकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले मुल्ला-मौलवियों द्वारा हिन्दुओं को मुसलमान बनाने से रोका जाए, इसके बाद ही शुद्धि आंदोलन को रोकने पर विचार किया जाएगा।"

महात्मा गांधी भी मार्च, 1927 में स्थानबद्ध वीर सावरकर से मिलने रत्नागिरि गये। इन दोनों महापुरूषों की विचारधाराओं में आमूल परिवर्तन होते हुए भी गांधीजी सावरकर के ज्ञान, देशभक्ति, त्याग आदि गुणों के प्रशंसक थे। गांधीजी ने भी सावरकर के शुद्धि आंदोलन की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी।

> इस पर वीर सावरकर निर्भीक स्वर में बोले- "मुसलमानों ने भारत में एक हाथ में कुरान तथा दूसरे हाथ में तलवार लेकर हिन्दुओं का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया है। ऐसी स्थिति में उन हिन्दुओं को उनके धर्म के महत्त्व से अवगत कराकर पुन: उनके धर्म में वापस लाना एक राष्ट्रीय कार्य है।"

इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अतिरिक्त क्रांतिकारी शहीद सुखदेव, वैशम्पायन, हडसन कांड के क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत गोगटे, डॉक्टर अंबेडकर, श्री अच्युत पटवर्धन, सेनापति बापट, क्रान्तिकारी वी. एस. अय्यर, नानी गोपाल, प्रसिद्ध इतिहासकार गोविन्द सखाराम सरदेसाई, मराठी ज्ञानकोश के रचयिता डॉक्टर केलकर, मराठी कवि डॉक्टर पटवर्धन, समाजवादी नेता युसूफ मेहर अली, नेपाली गोरखा सभा के अध्यक्ष ठाकुर चन्दनसिंह आदि अनेक व्यक्ति रत्नागिरि में वीर सावरकर से मिले और उनसे देश की आजादी और समसामयिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।

इसके साथ ही उन्होंने गांधीजी को सावधान किया कि मुस्लिम लीग के नेता वास्तव में भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बदल देना चाहते हैं। भारत के क्रांतिकारी युवक सावरकर के '1857 के स्वातन्त्र्य समर' से अत्यधिक प्रभावित थे। इस ग्रंथ को 'क्रांतिकारियों की गीता' कहा जाने लगा था। शहीद भगतसिंह ने इस ग्रंथ को गुप्त रूप में प्रकाशित कराकर क्रांतिकारियों को दिया था। वे भी वीर सावरकर से अत्यंत प्रभावित थे। 1928 में भगतसिंह गुप्त रूप में रत्नागिरि जाकर सावरकर से मिले। वस्तुत: इस ग्रंथ को प्रकाशित कराने की आज्ञा उन्होंने इसी भेंट में ले ली थी। दोनों वीरों के बीच मातृभूमि की स्वतन्त्रता के विषय में दीर्घ विचार-विमर्श हुआ।

नेपाली गोरखा सभा के अध्यक्ष ठाकुर चंदन सिंह तो एक शिष्टमंडल के साथ आये थे। वीर सावरकर के व्यक्तित्व एवं विचारों से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वीर सावरकर की तुलना नेपोलियन से की थी। उन्होंने इस भेंट के बाद कहा था-"अब मुझे ज्ञात हो गया है कि फ्रांस का सेनापति नेपोलियन कैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का पुरुष रहा होगा।" ■■■

हिंदी भाषा शुद्धि का कार्य

मातृभाषा मराठी होते हुए भी वीर सावरकर राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि को एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे।

अत: अन्डमान के बंदी जीवन में भी उन्होंने हिंदी तथा देवनागरी के प्रसार का कार्य किया। फिर रत्नागिरि की स्थानबद्धता में भी उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया।

इसके लिए उन्होंने 'भाषा शुद्धि' के नाम से लेख लिखा। इस लेख के माध्यम से उन्होंने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का समर्थन किया तथा इससे उर्दू एवं अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। मुद्रण एवं टंकण के लिए नागरी लिपि को उपर्युक्त बनाने के विषय में अपने विचारों को उन्होंने समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया। इस विषय पर बाद में उन्होंने 'नागरी लिपि सुधार' नामक एक पुस्तक भी लिखी। 'अ' की बारह खड़ी (अ, आ, इ, ई इत्यादि) का प्रचलन भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। उनके इस मत को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने भी अपनाया।

उनका स्पष्ट मत था कि भारत के सभी भाषा-भाषी यदि अपनी भाषाओं को नागरी लिपि में लिखना प्रारंभ कर दें तो भारत की भाषा समस्या सरलता से हल हो जाएगी। प्रख्यात साहित्यकार व राजनीतिक नेता राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन वीर सावरकर के संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के प्रस्ताव से अत्यंत प्रभावित हुए थे। ■■■

और चिंगारी पूरे देश में फैल गई...

10 मई, 1937 को सावरकरजी की नजरबंदी रद्द की गई। नजरबंदी से मुक्त होते ही वीर सावरकर का भव्य स्वागत किया गया। अनेक नेताओं ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, ''कांग्रेस से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर उनके तीव्र मतभेद हैं। वह हिंदू महासभा का ही नेतृत्व करेंगे।''

30 दिसंबर, 1937 को अहमदाबाद में आयोजित अ.भा. हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 'हिंदू' की सर्वश्रेष्ठ व मान्य परिभाषा की।

उन्हीं दिनों हैदराबाद के निजाम ने हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों पर रोक लगा दी। आर्यसमाज ने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया तो सावरकर ने उसमें सक्रिय योगदान की घोषणा की। उनकी प्रेरणा से हिंदू महासभा के अनेक जत्थे हैदराबाद गए। वंदेमातरम् रामचंद्रराव तथा श्री यशवंतराव जोशी आदि ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस तथा महामना मालवीयजी महाराज आदि राष्ट्रीय नेता सावरकरजी से बहुत प्रभावित रहे। 22 जून, 1940 को नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने सावरकर सदन (मुम्बई) जाकर उनसे भेंट की तथा उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भारत से गुप्त रूप से पलायन कर विदेशों में आजाद हिंद सेना की स्थापना की।

25 जून, 1944 को नेताजी ने सिंगापुर रेडियो से अपने भाषण में स्वीकार किया था कि ''जब कांग्रेस के तमाम नेता भारतीय सेना के सिपाहियों को 'किराए का टट्टू' कहकर बदनाम कर रहे थे, उस समय सबसे पहले वीर सावरकर ने ही भारतीय युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया। उनकी प्रेरणा से सेना में भर्ती हुए युवक ही हमारी आजाद हिंद सेना के सिपाही बने।'' ■■■

> ***हिंदू महासभा के मंच से सावरकर ने 'राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण' का नारा दिया। उन्होंने हिंदू युवकों को अधिक से अधिक संख्या में सेना में भरती होने की प्रेरणा दी। उन्होंने तर्क दिया, भारतीय सेना के हिंदू सैनिकों पर ही इस देश की रक्षा का भार आएगा, अतः उन्हें आधुनिकतम् सैन्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी जरूरी है।''***

अखण्डता के प्रखर साधक

आने वाले कुछ महीनों में यह स्पष्ट हो गया कि भारत धीरे-धीरे विभाजन की ओर बढ़ रहा था। जिस प्रकार की राजनैतिक तस्वीर बन रही थी, उसमें सावरकर के कुछ सबसे आक्रामक बयान जारी हुए। वे गांधी से बहुत ज्यादा नाराज थे। 13 अगस्त, 1944 को उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि किस प्रकार गांधी जी और कांग्रेस देश को एक ऐसे रास्ते पर चला रहे थे, जो निश्चित रूप से भारत को विभाजन की ओर ले जाएगा। लेकिन हमारी पवित्र मातृभूमि के टुकड़े करने का घोर पाप अभी उनके राजनैतिक जीवन को सुशोभित करने जा रहा है और वह भी अहिंसा, सत्य और भगवान के नाम पर।''

7 अगस्त, 1944 को बंगाल के वरिष्ठ हिंदू महासभा नेता एन.सी. चटर्जी को भेजे गए टेलीग्राम में सावरकर ने कहा-

''यह जानना उत्साहजनक है कि हिंदू बंगाल भारत की अखंडता की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने पूर्व नियोजित बंगाल के विभाजन को कुचल दिया था। उनकी संतानों को भारत के इस प्रस्तावित विभाजन को कुचलकर रख देना होगा।''

सावरकर ऐसे किसी भी प्रस्ताव या योजना के कट्टर विरोधी थे जिसमें भारत के विभाजन की थोड़ी सी भी संभावना हो। अत: यह स्वाभाविक ही था कि सी. राजगोपालाचारी और उनकी योजना से सावरकर अत्यंत क्रोधित हो गए। सी. राजगोपालाचारी ने सावरकर से प्रश्न किया, ''श्रीमान सावरकर का कहना है कि हिंदू संगठनवादियों का यह कर्तव्य है कि वे प्रस्ताव (पाकिस्तान के सुझाव) को ठुकरा दें, लेकिन भारतीय संगठनवादियों के कर्तव्य का क्या जिनका उद्देश्य केवल मुसलमानों के खिलाफ संगठित होना नहीं बल्कि स्वतंत्र होना है।''

सावरकर ने प्रत्युत्तर में राजगोपालाचारी से प्रश्न किया कि ''क्या वे ज्यादा भारतीय संगठनवादी हैं, जो भारत के विभाजन का विरोध करते हों या वे जो इसका समर्थन करने वालें हों।'' उन्होंने अपनी बात जारी रखी-

''कौन अधिक भारतीय संगठनवादी थे, वे जिन्होंने कसाई की छुरी को अपनी मातृभूमि की गरदन तक पहुँचाया है या वे जो इस कत्ल को रोकना चाहते थे।''

सावरकर स्पष्ट रुप से अब एक हारे हुए उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वायसराय माउंटबैटन की विभाजन की योजना (3 जून, 1947) की घोषणा के पश्चात् भी सावरकर ने हिंदू महासभा से निवेदन किया (8 जून, 1947) कि वे इस भारत की 'मौत के फरमान' के लिए भागीदार न बनें।

2 अगस्त, 1947 को सावरकर ने पूना में एक बार फिर एक विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो परिस्थितियाँ हैं, उनके लिए हालाँकि अधिकतर जवाबदेही कांग्रेस की ही है, लेकिन आम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की थी। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार बार-बार एक विशेष वर्ग के लोगों के तुष्टिकरण के कारण से यह संप्रदायवाद, एक इतने पुराने देश का विभाजन करने में सफल हो गया था।

मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की माँग उठाई तो वीर सावरकर ने उसका डटकर विरोध किया। उनकी प्रेरणा पर दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में अखंड भारत सम्मेलन का आयोजन कर 'पाकिस्तान' योजना का विरोध किया गया। अंडमान में अमानवीय यातनाएं सहन करने के कारण अब सावरकर अधिकांश अस्वस्थ रहने लगे थे।

भारत की स्वाधीनता के बाद वह मुंबई रहकर लेखन के माध्यम से हिंदू संगठन के कार्य में योगदान करते रहे। मई, 1952 में पुणे में आयोजित 'अभिनव भारत' समापन समारोह में लाखों व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर दु:ख व्यक्त किया कि स्वाधीनता-संग्राम में सर्वस्व समर्पित करने वाले क्रांतिकारियों की घोर उपेक्षा की जा रही है। स्वाधीनता का पूरा श्रेय अहिंसक सत्याग्रहियों को ही दिया जाना इतिहास के साथ घोर अन्याय है।

10 मई, 1957 को 1857 के स्वातन्त्र्य समर की शताब्दी दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई। सावरकर इस समारोह में प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने सैनिकीकरण को प्राथमिकता दिए जाने पर जोरदार शब्दों में बल दिया। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर उसकी हजारों वर्गमील भूमि पर कब्जा कर लिया तब भारत सरकार को वीर सावरकर की चेतावनी याद आई और सैनिक दृष्टि से देश को समृद्ध करने की आवश्यकता का महत्त्व समझा गया। ■■■

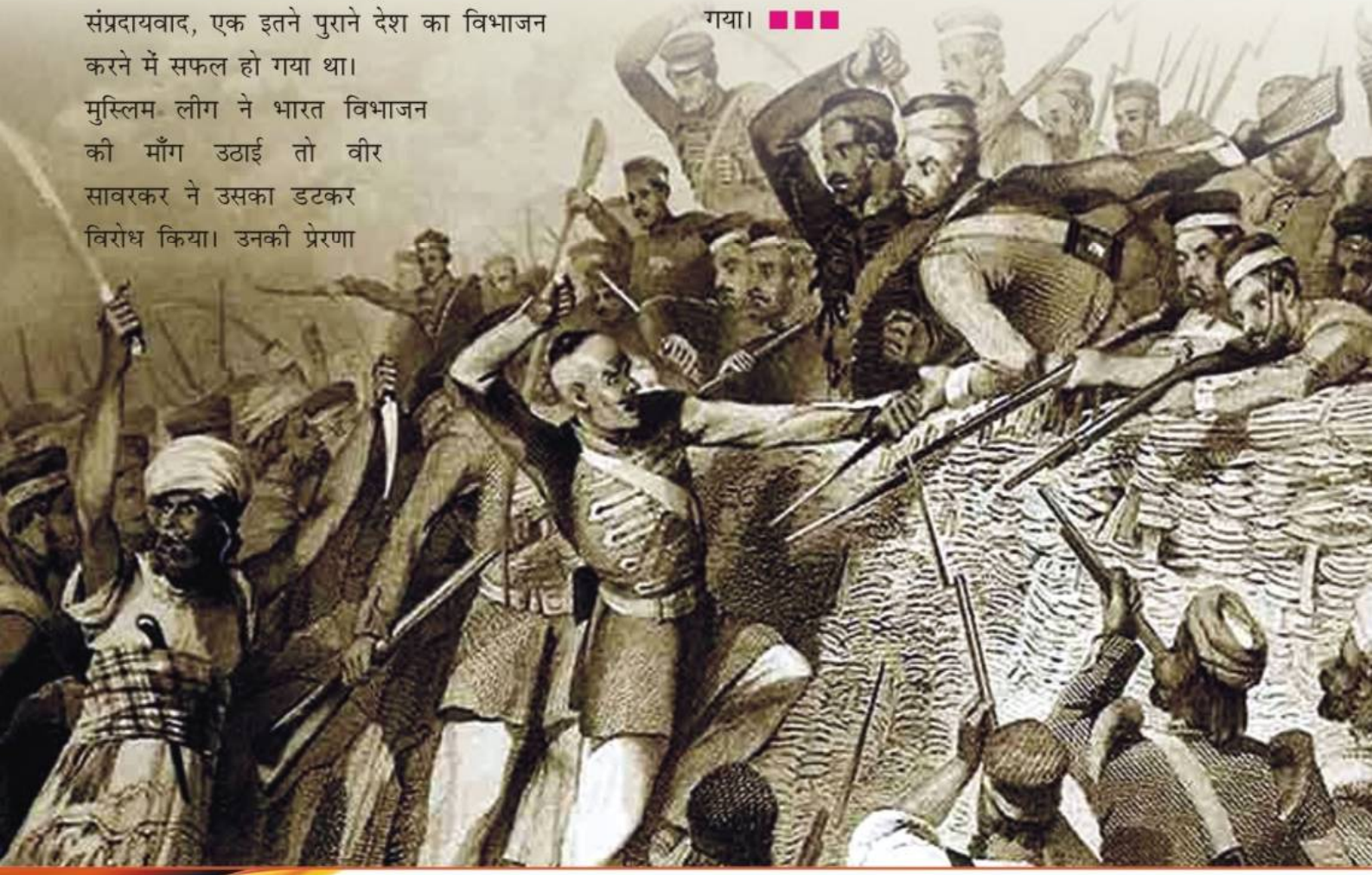

गोवा-मुक्ति और वीर सावरकर

भारत की स्वतंत्रता के कई वर्षो बाद तक गोवा पर पुर्तगाल सरकार का अधिकार रहा। वीर सावरकर को यह बात सदा कांटे की तरह खटकती रहती थी कि भारत गोवा पर अधिकार क्यों नहीं करता। गोवा की मुक्ति के लिए सर्वप्रथम आवाज सावरकर ने ही उठायी थी। उन्होंने अहमदाबाद के हिंदू महासभा अधिवेशन में कहा था-

गोवा की मुक्ति के लिए एक बार 1946 में भी आंदोलन हो चुका था। 1955 में हिन्दू महासभा के जोधपुर अधिवेशन के कुछ ही दिन बाद गोआ-मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हो गया। सारे देश से सत्याग्रहियों के दल गोवा जाने लगे। हिन्दू महासभा, जनसंघ, रामराज्य परिषद्, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। मेरठ से गोवा जाने वाला हिन्दू महासभा का एक दल बम्बई

''हम हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं। 'फ्रैंच हिन्दुस्तान', 'पोर्चुगीज हिन्दुस्तान' इन नामों का उच्चारण भी हमारे कानों के लिए असह्य एवं हमारी मूर्खता का प्रतीक है। इस कृत्रिम और बलपूर्वक किये हुए राजकीय विभाजन को हमें पूर्णतया समाप्त करके, अखंड हिन्दुस्तान बनाने की शपथ लेनी चाहिए। हम हिन्दुओं को दृढ़ता के साथ घोषित करना चाहिए कि कश्मीर से रामेश्वरम् तक तथा सिन्धु से आसाम तक अखंड, संयुक्त एवं अभिन्न हिन्दुस्तान ही हमें मान्य होगा। हमें गोवा, पांडिचेरी आदि को पुर्तगाली दासता से मुक्त कराने के लिए भी संघर्ष करना चाहिए।''

रूका तथा वीर सावरकर का आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिला। इस दल में दैनिक 'प्रभात' (मेरठ) के सम्पादक श्री विनोद भी थे। उन्होंने सावरकर से विचार-विमर्श किया। इस पर वीर सावरकर ने कहा-

''आप क्रांति भूमि मेरठ से इतनी दूर गोवा की मुक्ति की अभिलाषा से गोलियां खाने, बलिदान देने आये हो, इस तरह यह आप लोगों की देशभक्ति का परिचायक है, किंतु सशस्त्र पुर्तगाली दानवों के समक्ष आप नि:शस्त्र खाली हाथ मरने को जाओ, इस नीति को न मैंने कभी ठीक समझा और और न अब समझता हूँ। जब आप लोगों के हृदय में बलिदान देने की महान भावना है, तो आप लोग हाथ में राइफलें लेकर क्यों नहीं जाते, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर जाओ और शत्रु को मारकर मर जाओ-गोवा की मुक्ति का कार्य सरकार को सेना को सौंप देना चाहिए। सशस्त्र सैनिक कार्यवाही से ही गोवा मुक्त होगा।

सत्याग्रह के स्थान पर शस्त्राग्रह से ही गोवा में सफलता प्राप्त होगी।''

वीर सावरकर की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। सत्याग्रही दल वहां बार-बार गये, परंतु अंत में भारत सरकार को सेना भेजनी ही पड़ी तथा इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप जनवरी, 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। इस समाचार को सुनकर वीर सावरकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अस्वस्थ होने पर भी उन्होंने स्वयं अपने निवास स्थान पर भगवा पताका फहरायी। ■■

स्वयं को तिल तिल गलाया...

वृद्ध शरीर, कई वर्षों से अनवरत अस्वस्थता तथा पाकिस्तान में विजय की ओर अग्रसर होने पर भी भारतीय सैनिकों को रोक दिया जाना और ताशकंद समझौता- इस सबने वीर सावरकर को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि सें गंभीर रूप से अस्वस्थ कर दिया। मृत्यु अवश्यम्भावी है- यह विचार कर इस अस्वस्थता में उन्होंने ताशकंद समझौते के पश्चात् तो दवा लेना भी छोड़ दिया। इस पर पारिवारिक जनों का चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया कि वे (वीर सावरकर) दवा ले लें, किंतु सफलता नहीं मिली। डॉ. साठे उनके परम मित्र और निजी चिकित्सक थे। वही इस समय चिकित्सा कर रहे थे। वीर सावरकर का दवा न लेने का हठ देखकर परिवार के सभी सदस्यों को बड़ी निराशा हुई। सभी बड़े असमंजस में थे कि क्या करें जिससे वे किसी प्रकार दवा लेने के लिए बाध्य हो जाए। वीर सावरकर के पुत्र श्री विश्वास सावरकर, भतीजे विक्रम सावरकर तथा निजी सचिव श्री बाल सावरकर ने विचार किया कि चाय में मिलाकर दवा दे दी जाए। अत: डॉक्टर से परामर्श लेकर चाय में मिलाकर दवा दी गई, किंतु वीर सावरकर को संदेह हो गया कि ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने चाय लेना भी अस्वीकार कर दिया- 'चाय में दवा देते हो, तो चाय भी नहीं लूंगा। मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता।

अब मुझे जीवित रहकर करना ही क्या है? मेरा जो कर्तव्य था, उसे निभा चुका हूं।'

फिर भी डॉ. साठे बाह्य परीक्षण नियमित रूप से करते रहते थे। एक दिन उनसे बोले, 'साठे! अब 'औषधोपचार की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरे परम स्नेही और चिकित्सक हो। आज तक मैं तुम्हारी सभी बातें मानता आया हूँ, अब तुम मेरी एक अंतिम बात मान लो। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो, जिसके बाद मुझे फिर न बोलना पड़े।

अखंड भारत के उपासक वीर सावरकर के इन शब्दों को सुनकर डॉ. साठे को अवर्णनीय वेदना हुई।

वीर सावरकर की अस्वस्थता का समाचार सुनकर द्वारका पीठ के जगद्गुरू शंकराचार्य उनके दर्शन के लिए स्वयं सावरकर सदन पधारे। शय्या पर लेटे-ही-लेटे इस स्वातन्त्र्य वीर ने शंकराचार्य का अभिवादन तथा अभिनंदन किया। उनके हजारों प्रशंसक तथा मित्र उनका कुशलक्षेम पूछने आते रहते थे। शय्या पर लेटे वीर को देखकर सभी का हृदय भर आता था। ■■■

क्रान्तिकारी की इच्छा-मृत्यु

स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने मृत्यु से दो वर्ष पूर्व 'आत्महत्या या आत्म-समर्पण' शीर्षक से एक लेख लिखा था। इस विषय से सम्बन्धित अपना चिन्तन उन्होंने इस लेख में स्पष्ट किया था। स्वातंत्र्यवीर सावरकर का जीवन जिस प्रकार विलक्षण था, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी लोकेत्तर सिद्ध हुई। उनकी मृत्यु की घटना भी अद्वितीय महत्व की रही। आधुनिक समय में अपने जीवन को स्वेच्छा से अनशन द्वारा समाप्त कर लेने वाला उनके समान कोई दूसरा नहीं हुआ।

इस सम्बन्ध में उनका जो चिंतन था उसे उन्होंने अपने लेख में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने उस लेख में ज्ञानेश्वर और एकनाथ आदि के श्रेष्ठ उदाहरण देकर अपनी विचारधारा स्पष्ट की है।

जिस प्रकार भारत में एक ही लोकमान्य हुए, देशबन्धु भी एक ही हुए, उसी प्रकार स्वातन्त्र्यवीर भी इस दृष्टि से वे अकेले ही गिने जायेंगे। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जीवन दिया और अन्त में अपने ही प्रयत्न द्वारा स्व- इच्छा से मृत्यु का भी वरण किया। जीवन कार्य संपन्न करने के लिए जब तक कार्य करना सम्भव रहा तब तक वे जिये, यहां तक की अण्डमान की काल कोठरी में भी साक्षात् मृत्यु यातना भोगते हुए वे जीवित रहे और जब, उनका जीवन कार्य उन्हें समाप्त हुआ लगा, तब यद्यपि औषधि उपचार के सहारे वे कुछ वर्ष और भी जीवित रह सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसे जीवन का मोह त्यागकर अनशन द्वारा अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली।

साधक अनन्त के पथ पर

वीर सावरकर की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई और 26 फरवरी 1966 की प्रात: स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि उनका अंतिम समय समीप ही आ गया है। चिकित्सक अपना कर्त्तव्य निभाने में लग गये। ऑक्सीजन दी गई तथा सुइयां लगीं, किंतु सब व्यर्थ रहा। दिन में प्राय: 11 बजे वीर सावरकर अपनी अनन्त यात्रा के लिए महाप्रयाण कर गये।

स्वतन्त्रता का आलोक बिखेरने वाले इस ज्योतिपुंज के अवसान का समाचार सुनकर अशेष हिन्दू जगत् शोक के समुद्र में डूब गया। विश्व की एक निरुपम विभूति, जिसमें समस्त सांसारिक सुखों को तुच्छ मानकर उनका परित्याग कर दिया था, जिसने मातृभूमि के गौरव को सुरक्षित करने के लिए क्रांति के कंटकाकीर्ण पथ का वरण किया था, जिसके अदम्य राष्ट्रप्रेम तथा उत्साह के समक्ष विश्व की सभी बाधाएं हारकर नतमस्तक हो गई थीं, उस परम वीर पुरुष को चिर निद्रा में सोया देख निश्चय ही भारत मां मूक स्वर में चीत्कार कर उठी होगी। जो सदा सिंध प्रांत तथा सिंधु नदी की मुक्ति का संकल्प करता और कराता था, उस सपूत के शोक में नि:संदेह पुण्य सलिला सिंधु ने अपने अव्यक्त कलकल निनाद में करुण क्रन्दन किया होगा। ■■■

स्वातन्त्र्य वीर सावरकर : जीवन क्रम

- 28 मई 1883 जन्म ग्राम भगूर जि. नासिक
- 1892 माता राधा बाई का निधन,
- 4 सितम्बर 1899 पिता दामोदर पंत का निधन
- मई 1898 कुल देवी के सामने सशस्त्र क्रांति की प्रतिज्ञा
- 1 जनवरी 1900 मित्र-मेला की स्थापना
- मार्च 1901 विवाह
- 10 दिसम्बर 1901 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण
- मई 1904 अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना विजयादशमी 1905 विदेशी कपड़ों की होली
- 21 दिसम्बर 1905 बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण
- 9 जून 1906 लंदन को प्रस्थान
- 10 मई 1907 लंदन में 1857 के स्वातंत्र्य समर की स्वर्णजयंती मनाई
- 2 मई 1908 लंदन में प्रथम 'शिवाजी-जयंती' मनाई
- 1908 'सत्तावन का स्वातंत्र्य समर' पुस्तक हालैंड में गोपनीय रूप से प्रकाशित
- मई 1909 बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की, किन्तु उपाधि नहीं मिली
- 8 जून 1908 बड़े भाई बाबाराव सावरकर को आजीवन कारावास की सजा
- 1 जुलाई 1909 मदनलाल धींगरा द्वारा कर्जन वायली का वध
- 13 मार्च 1910 पेरिस से लंदन आते ही गिरफ्तार
- 8 जुलाई 1910 मार्सेलिस बंदरगाह पर सागर में कूद पड़े
- 24 दिसम्बर 1910 दो आजीवन कारावास की सजा
- 4 जुलाई 1911 अण्डमान के कारावास का प्रारम्भ
- 2 मई 1921 बाबाराव और तात्याराव दोनों ही अण्डमान से हिन्दुस्थान भेजे गये।
- 1921-22 अलीपुर (बंगाल) और रत्नागिरि में कारावास
- 6 जनवरी 1924 रत्नागिरि जिले में रहना और राजनीति में भाग न लेना इन दो प्रमुख शर्तो पर येरवदा कारागृह से छूटे
- 1 मार्च 1927 रत्नागिरि में गांधी-सावरकर भेंट और चर्चा
- 16 नवम्बर 1930 रत्नागिरि में स्पृश्यास्पृश्यों का पहला सहभोजन
- 22 फरवरी 1931 पतित पावन मंदिर में श्री लक्ष्मीनारायण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा
- 25 फरवरी 1931 मुंबई-क्षेत्र-अस्पृश्यता-निवारक परिषद के 6 व अधिवेशन के अध्यक्ष
- 27 सितम्बर 1931 श्री गणेशोत्सव में भंगी बाबा का कीर्तन, महारों

का गीतापाठ और 74 स्पृश्यास्पृश्य महिलाओं का पहला सहभोजन

• 1931 से 1937 तक रत्नागिरि में विविध समाज कार्य तथा लेखन

• 10 मई 1937 रत्नागिरि की स्थानबद्धता से बिना शर्त पूर्ण मुक्ति

• 30 दिसम्बर 1937 हिन्दू महासभा के 19 वे अखिल भारतीय अधिवेशन कर्णावती (अहमदाबाद) के अध्यक्ष

• 25 जून 1940 सुभाषचन्द्र बोस अचानक सावरकर सदन में आकर मिले

• 24 दिसम्बर 1941 भागलपुर में स्वाधीनता संग्राम हेतु नागरिकों की आमसभा

• 28 मई 1943:61 वें जन्म दिन पर पूना में अ.भा. सम्मान समारोह तथा निधि-समर्पण

• 14 अगस्त 1943 नागपूर विश्वविद्यालय ने डी. लिट् की मानद उपाधि दी

• 16 मार्च 1945 बड़े भाई गणेशपंत (बाबाराव) सावरकर का सांगली में निधन

• अप्रैल 1946 मुंबई सरकार ने संपूर्ण सावरकर-साहित्य प्रतिबंध मुक्त किया

• 15 अगस्त 1947 दु:ख मिश्रित आनन्द, घर पर भगवाध्वज तथा राष्ट्रध्वज फहराया।

• 5 फरवरी 1948 गांधी हत्या के बाद सुरक्षा कानून में गिरफ्तार

• 10 फरवरी 1949 गांधी जी की हत्या के अभियोग से ससम्मान बरी

• 19 अक्टूबर 1949 छोटे भाई डॉ. नारायणराव का निधन

• 4 अप्रैल 1950 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के दिल्ली आने पर गिरफ्तार और बेलगांव जेल में रखे गये

• 10 से 12 मई 1952 'अभिनव भारत' संस्था का समापन समारोह

• 23 जुलाई 1956 लोकमान्य जन्म शताब्दी महोत्सव में पूना में भाषण

• 10 मई 1957, 1857 के स्वातंत्र्य समर के शताब्दी महोत्सव पर दिल्ली में भाषण

• 28 मई 1958, 75 वें जन्म दिन पर बम्बई महानगरपालिका ने सम्मानित किया

• 8 अक्टूबर 1959 पूना विश्वविद्यालय ने 'डी.लिट्' मानद उपाधि घर पर पहुंचाकर दी।

• 24 दिसम्बर 1960 'मृत्युंजय दिवस' मनाया गया

• 24 जनवरी 1961 'मृत्युंजय दिवस' के निमित्त पूना में अंतिम प्रकट भाषण

• 25 अप्रैल 1962 बम्बई के राज्यपाल माननीय श्री प्रकाश जी घर आकर मिले

• 8 नवम्बर 1963 पत्नी सौ. यमुनाबाई (माई) का निधन

• 1 अगस्त 1964 वसीयत नामा (मृत्यु-पत्र) लिखा

• अक्टूबर 1964 भारत सरकार की ओर से 300 ₹ मासिक देकर सम्मान किया गया

• सितम्बर 1965 गंभीर रूप से बीमार

• 1 फरवरी 1966 अन्न और औषधि त्यागकर प्रायोपवेशन प्रारम्भ

• 26 फरवरी 1966 शनिवार प्रात: 11.15 पर 83 वर्ष की आयु में देहविसर्जन

• 27 फरवरी 1966 महा यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सैनिक अभिवादन, बम्बई के चंदनवाडी शवदाहगृह में अग्नि संस्कार।

संदर्भ साहित्य सूची

1. मृत्युंजय भारत, लेखक :- उमाकान्त केशव आप्टे
सुरुचि साहित्य, केशव कुंज, झंडेवाला, नई दिल्ली
2. मैं सावरकर बोल रहा हूँ, लेखक :- सं. शिवकुमार गोयल
प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
3. युगपुरुष वीर सावरकर, लेखक :- अशोक कौशिक
सूर्य प्रकाशन, नई दिल्ली
4. स्वातन्त्र्यवीर सावरकर (प्रेरक जीवन प्रसंग) - प्र. ग. सहस्त्रबुद्धे
लोकहित प्रकाशन, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली
5. वीर सावरकर, लेखक :- डॉ. भवानी सिंह राणा
डायमंड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
6. विनायक दामोदर सावरकर, लेखक :- रघुवेन्द्र तंवर
प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

पंजीयन - 1280-H/11/11/99

अरबन से जुड़िये, सहकारिता को मजबूत करियें। आपकी सेवा में सदैव तत्पर....

चित्तौड़गढ़ अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

समस्त त्वरित बैकिंग सुविधाओं के साथ

- मिस्ड कॉल अलर्ट सेवा-बेलेन्स जाने मोबाईल नं. : 8866466644
- खाते में तुरन्त मोबाईल नम्बर, आधार व पेन नम्बर जुडावे।
- आईएमपीएस (तुरन्त भुगतान सुविधा)
- तुरन्त भुगतान सुविधा (डेबिट कार्ड)।
- मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दरें
- मोबाईल बैकिंग
- ऋणों पर न्यूनतम ब्याज दर
- सरलतम प्रक्रिया

श्री हस्तीमल चोरड़िया
निदेशक

डॉ. महेश सनाढ्य
निदेशक

श्री शान्तिलाल पूंगलिया
निदेशक

श्री राधेश्याम आमेरिया
निदेशक

श्री विनोद कुमार आंचलिया
निदेशक

श्री आदित्येन्द्र सेठिया
निदेशक

श्री चान्दमल नंदावत
निदेशक

श्री बालकिशन धूत
निदेशक

श्रीमती सुनीता सिसोदिया
निदेशक

श्री अभिषेक मीणा
निदेशक

श्री आर.एस. नाहर
निदेशक

सीए बी. के. डाड
निदेशक

प्रधान कार्यालय : केशव माधव सभागार, एनसीएम सिटी, चित्तौड़गढ़
शाखाएँ : चित्तौड़गढ़, चन्देरिया, बेगूं, निम्बाहेड़ा, कपासन एवं बड़ी सादड़ी।

श्रीमती विमला सेठिया
चेयरपर्सन

श्रीमती वन्दना वजीरानी
प्रबन्ध निदेशक

शिवनारायण मानधना
उपाध्यक्ष

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें,
इन सुविधाओं की जानकारी के लिए अपनी निकटतम् शाखा में सम्पर्क करें।

Dr. Anushka Vidhi Mahavidyalaya

Behind Transport Nagar, Airport Road, Pratap Nagar, Udaipur (Rajasthan) 313001

Recognized by Government of Rajasthan • Approved by Bar Council of India
• Affiliated To Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

उदयपुर का एक मात्र **State University** से सम्बद्ध विधि महाविद्यालय

Dr. S.S. Surana
Managing Director

ADMISSION OPEN :- 2018-19

B.A. LL.B.
(5 Years Course)

LL.B.
(3 Years Course)

LL.M.
(2 Years Course)

Scholarship Available for Deserving Students

Guidance for RJS, GJS, JLO, APP, LWI etc.

www.anushkalawcollege.com
E-mail us : enquiry@anushkaacademy.com

For Admission Contact : 9414263458 | 7737206565

समुत्कर्ष पत्रिका के विशिष्ट प्रकाशन

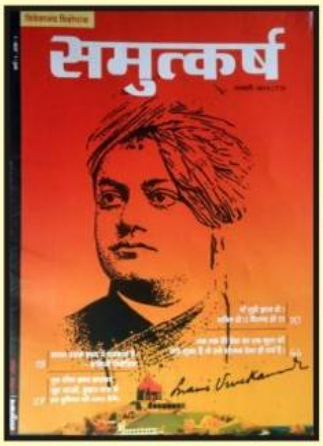

स्वामी विवेकानन्द
विशेषांक

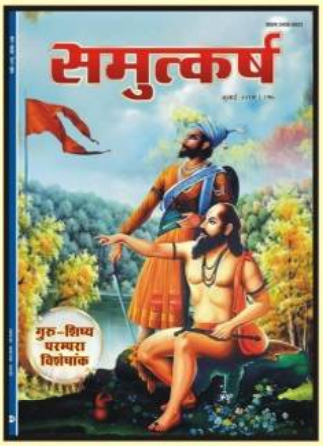

गुरु-शिष्य परम्परा
विशेषांक

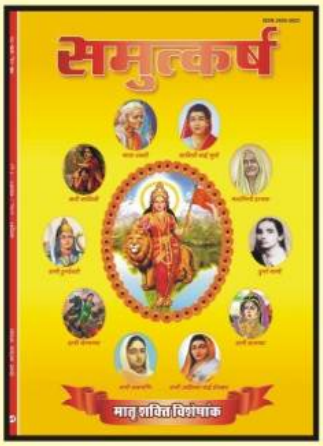

मातृ शक्ति
विशेषांक

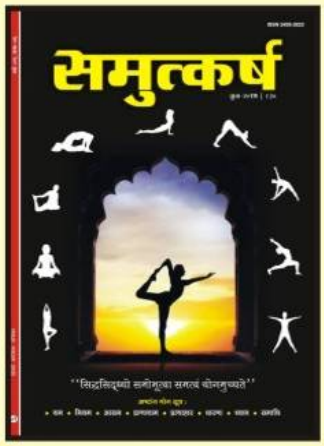

योग
विशेषांक

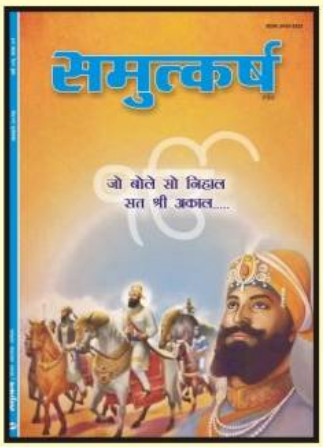

गुरु गोविन्द सिंह
विशेषांक

: प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थल :

समुत्कर्ष समिति, उदयपुर (राज.)
"समुत्कर्ष, बी-7, हिरण मगरी
सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

मूल्य : 50 रू मात्र

सम्पर्क सूत्र

94130 21167, 94130 25551

अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करे

e-mail : editor@samutkarsh.co.in

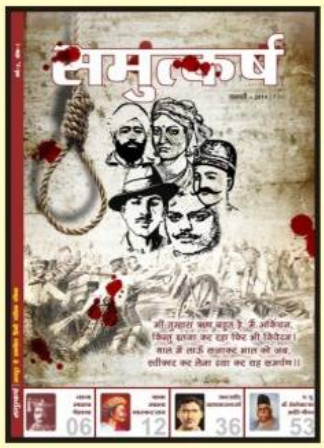

क्रांति कथा
विशेषांक

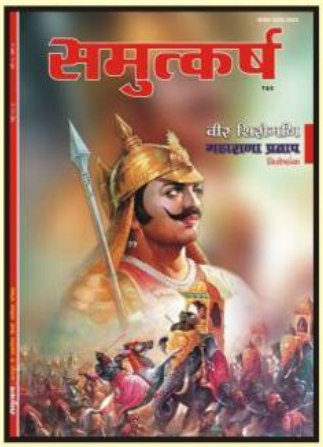

महाराणा प्रताप
विशेषांक

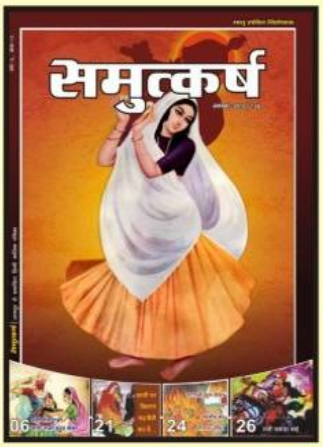

मातृ शक्ति
विशेषांक

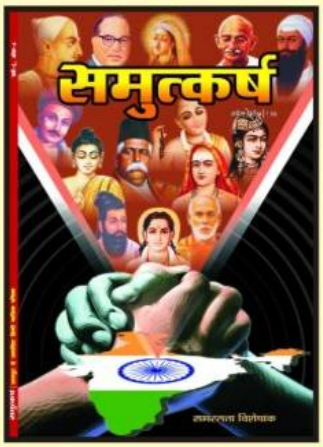

सामाजिक समरसता
विशेषांक

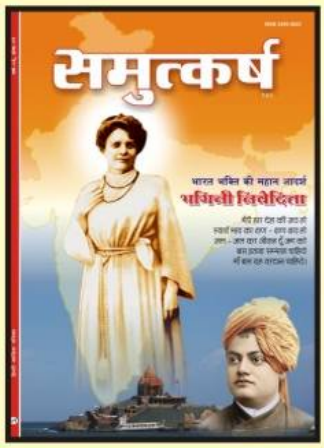

भगिनी निवेदिता
विशेषांक

RNI No.: RAJHIN2013/49210
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह की दिनांक 3

Postal Regi. No.: RJ/UD/29-120/2017-2019
प्रेषण तिथि :प्रत्येक माह की दिनांक 6, at RMS, Udaipur City

वितरित न होने पर इस पते पर लौटावें-
"समुत्कर्ष" बी-7, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर (राज.)